मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल नदवी
दारे अरफ़ात, तकिया कलां, रायबरेली

FEB 15

₹ 10/-

दुनिया की हकीकत

दुनिया जो लोगों में मशहूर है, तीन तरह की है:

१– वो दुनिया जो अच्छी है ये वो दुनिया है कि उसकी हक़ीक़त में लोगों ने कहा है कि मौत से पहले जो हालात हैं वो दुनिया है और मौत के बाद जो हालात हैं वो आख़िरत है। यानि आदमी की ज़िन्दगी के वक़्त जैसे खाना–पीना, सोना, ज़िन्दगी गुज़ारना इत्यादि कि ये दुनिया हक़ीक़त है और ये अच्छी है क्योंकि अगर हालात और वक़्त न होते तो अमल कहां करते?और ये दुनिया इस वजह से अच्छी है कि इसके बारे में हदीस में है कि दुनिया आख़िरत की खेती है।

२– दूसरी दुनिया बुरी है ये वो दुनिया है जिसका ज़िक्र इस आयत में है: (जान लीजिए, कि बेशक दुनिया की ज़िन्दगी खेलकूद और ज़ेब व ज़ीनत और आपस के दरमियान फ़ख़्र करना और माल व जायदाद और औलाद में ज़्यादती है) लिहाज़ा अगर कोई इतना फ़क़ीर हो कि उसके लिये सुबह व शाम का खाना तक नहीं है और जिस्म पर कपड़ा तक नहीं है लेकिन लहू लअब की मुहब्बत उसके दिल में मौजूद है यानि जहां कहीं खेल व तमाशे की कोई बात देखता है तो खड़ा हो जाता है और उससे लज़्ज़त लेता है, उसको दुनियादार कहा जायेगा।

३– तीसरी क़िस्म की दुनिया वो है जिसका ज़िक्र इस आयत में वारिद हुआ है: (कि लोगों के अन्दर औरतों की मुहब्बत है) यानि अगर किसी की बीवी उसको दीन के कामों में मदद करती हो यानि शौहर की ख़िदमत करती हो और घर का काम भी करती हो और उसकी वजह से उसका शौहर यकसूई के साथ अल्लाह तआला की इबादत में मशग़ूल होता हो तो ये औरत जो बज़ाहिर दुनिया का सामान है, हक़ीक़त में वो अच्छी है और अगर ये शख़्स उस औरत की वजह से हराम कमाई में लगा हुआ हो या उस औरत की वजह से नाजायज़ कामों में लगा हुआ हो मसनल झूठ बोल कर या चोरी करके औरत के लिये रोज़ी हासिल करता हो उसके हक़ में ये औरत जो दुनिया का सामान है, बुरी है। ऐसे ही बच्चे अगर नेक हों, वालिद की ज़िन्दगी में उसके दीनी कामों में उसकी मदद करते हों और उसके मरने के बाद नेक दुआओं से उसकी मदद करते हों, ये बच्चे उस वालिद के हक़ में अच्छे हैं और अगर वालिदैन बच्चों की वजह से हराम कमाई या नाजायज़ कामों में मुब्तिला हो तो वो उसके हक़ में बुरे हैं। इसीलिये कुछ वालिद जिन पर बच्चों की मुहब्बत ग़ालिब आ जाती है, जब उनको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो उसको दूर करने के लिये कुफ़्र के काम तक करते हैं। और ऐसे ही माल और घोड़े व सवारियां और खेत अगर ख़ुदा के रास्ते में फ़क़ीरों को देते हैं, उसमें ख़र्च करता है जिससे अल्लाह तआला राज़ी होते हैं तो ऐसे के हक़ में ये दुनिया के सामान अच्छे हैं और अगर गुनाहों में और अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ में ख़र्च करता हो तो ये उसके हक़ में बुरे हैं।

शेख़ अली मुत्तक़ी बुरहानपुरी

بسم الله الرحمن الرحيم

मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

अंक:२ फ़रवरी २०१५ ई० वर्ष:७

संरक्षक: हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी (अध्यक्ष – दारे अरफ़ात)

निरीक्षक
मौ० वाज़ेह रशीद हसनी नदवी
जनरल सेकेट्रेट्री– दारे अरफ़ात

सह सम्पादक
मौ० नफ़ीस ख़ाँ नदवी

सम्पादकीय मण्डल
मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी
अब्दुस्सुबहान नाख़ुदा नदवी
महमूद हसन हसनी नदवी

मुद्रक
मौ० हसन नदवी

अनुवादक
मोहम्मद सैफ़

E-Mail: markazulimam@gmail.com www.abulhasanalinadwi.org

इस अंक में:

मानवता के दुश्मन..२
बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

ग़ैब की पाँच कुन्जियाँ..३
अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह०

हालात क्यों नहीं बदलते?..५
मौलाना अज़ीज़ुल हसन सिद्दीक़ी

इस्लमी अक़ीदा..६
बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

प्रस्व रक्त व अनियमित माहवारी के शरई..८
मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी

कुरआन करीम और जीवन व्यवस्था..१०
अब्दुस्सुब्हान नाख़ुदा नदवी

ईरान और इस्राईल के बीच ख़ुफ़िया संबंध..१३

क्या इस्राईल पीड़ित है?..१५
जनाब नेहाल सग़ीर

मुहब्बत का सिला..१७
मुहम्मद अरमुग़ान बदायूंनी नदवी

धर्मनिरपेक्षता और इस्लाम..१८
मुहम्मद नफ़ीस ख़ाँ नदवी

अल्लाह की अमानत..२०
अबुल अब्बास ख़ाँ

सम्पादक: बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल–नदवी दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली, यू०पी०.229001

प्रति अंक 10रू

मो० हसन नदवी ने एस० ए० आफसेट प्रिन्टर्स, मस्जिद के पीछे, फाटक अब्दुल्ला ख़ाँ, सब्ज़ी मण्डी, स्टेशन रोड रायबरेली से छपवाकर आफिस अरफ़ात किरण, मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल–नदवी, दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली से प्रकाशित किया।

वार्षिक 100रू०

सम्पादकीय

मानवता के दुश्मन

● बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

दुनिया इस समय जिस फूट का शिकार है, इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के इतिहास में शायद ही ऐसा बिखराव और बिगाड़ हुआ हो। जिन देशों में बड़ी बेरहमी से बहुत बड़े स्तर पर इन्सानों का ख़ून बहाया जा रहा है, वहां जो कुछ अविश्वास व बेचैनी का वातावरण है वो तो है ही, मसला इस वक़्त पूरी दुनिया का है, जिन देशों में दिखावे के तौर पर सुकून व शांति नज़र आ रही है, वहां भी लोगों की हालत ये है कि एक बेचैनी की स्थिति है। अमरीका जैसे उन्नति प्राप्त देश में जो इस समय अकेला सुपर पावर बना हुआ है, कोई नागरिक सुकून से नहीं है, वहां के लोगों में बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो बग़ैर नींद की गोली खाये नहीं सो सकते। ये बेचैनी का वातावरण बढ़ता चला जा रहा है, जो पूरी मानवता के लिये एक बड़ा ख़तरा बन गया है। इसके इलाज के लिये जो उपाय किया जाता है, उसमें न बीमारी की सही पहचान होती है और न मरीज़ों की, इसका नतीजा ये है कि: **मर्ज़ बढ़ता गया ज्यूं-ज्यूं दवा की**

इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि दुनिया का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में है जो अत्यधिक स्वार्थी व मनुष्य के दुश्मन हैं। जिनकी हालत ये है कि अपने लाभ के लिये मानवता की बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं, बल्कि अगर ये कहा जाये कि मानवता को मौत के घाट उतारना उनके लिये कुछ मुश्किल नहीं है, यदि उनको अपना लाभ नज़र आता हो।

यह खेल नया नहीं है। इधर लम्बे अर्से से यह खेल खेला जा रहा है। और इसमें अस्ल दिमाग़ उन यहूदियों का है, जिनको इन्सानों से व इन्साानियत से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी खुफ़िया मीटिंगों में जो बात तय होती थी, आज उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। दुनिया की पूंजी और मीडिया पर पूरी तरह उनका कन्ट्रोल है। सभी बड़ी एजेंसियां उनके पास हैं, ख़बरे उनकी छलनी में छने बग़ैर मीडिया में नहीं आ सकती हैं और फिर अपने मक़सद के लिये ख़बरे तैयार की जाती हैं। जिसको उर्दू के मुहावरे में "धूल झोंकना" कहते हैं, वो मिसाल पूरी तरह उन पर खरी उतरती है। नाइन-इलेवेन (9/11) की घटना करवायी गयी, इसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत उसको मुसलमानों के सर डाल दिया गया, ये बात अब साबित हो चुकी है कि ये सब एक षडयन्त्र था, एक प्लानिंग थी, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को टार्चर करना था। इसके अलावा न जाने कितनी घटनांए होती हैं, जिनका न सर होता है न पैर। सर व पैर उगाये जाते हैं और ढांचा बनाकर पेश कर दिया जाता है। स्कूल के बच्चों के साथ जो हालिया वाक़्या पेश आया है, उसको भी मुसलमानों के सर मढ़ दिया गया जबकि इस्लामी तालीम और रसूलुल्लाह स0अ0 की तालीम उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगर कोई मुसलमान है तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। यद्यपि बच्चों, औरतों, बूढ़ों पर जो अत्याचार पूरी दुनिया में हो रहे हैं, हज़ारों की संख्यां में लोग मारे जा रहे हैं, ये सब उन लोगों की तरफ़ से हो रहा है जो अमरीका व यूरोप के पैदा किये हुए हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो इस्लाम से उसका कोई संबंध नहीं। इस्लाम में केवल नाम रख लेने से कोई दाख़िल नहीं हो सकता और न किसी के कह देने से कोई मुसलमान हो सकता है। इस्लाम तो उस यक़ीन का नाम है जो अल्लाह की ज़ात पर होता है, उसके रसूलुल्लाह स0अ0 पर होता है, आप स0अ0 की शिक्षाओं पर होता है।

इस्लाम की सच्ची शिक्षांए जो अस्ल में मानवता के लिये श्रेष्ठ नमूना हैं। मानवीय मूल्य उन्हीं शिक्षाओं से निकलते हैं। मानवाधिकार की व्याख्या पर विचार किया जाये तो आप स0अ0 के आख़िरी ख़ुत्बे (भाषण) को देखकर तैयार की गयी हैं, इस्लाम की ये व्यवहारिक शिक्षांए जो मनुष्य के लिये श्रेष्ठ नमूना हैं और उनमें हर मनुष्य के लिये एक आकर्षण है, उसको देखकर दुनिया की ताक़तों ने इस्लाम को बदनाम करने के लिये एक लम्बी प्लानिंग की है, दुनिया के बहुत से देश इसमें शामिल हैं और इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया को सबसे बड़ा साधन बनाया गया है।

अफ़सोस की बात ये है कि ये सब कुछ करने वाले शायद ये भूल बैठते हैं कि वे जो कुआं दूसरों के लिये खोद रहे हैं, उन ही रास्तों से ख़ुद उनको भी गुज़रना है। आग एक घर में लगायी जाती है तो क्या दूसरा घर उसकी लपटों से बच सकेगा। पूरी दुनिया को जहन्नम बनाने वालों को ग़ौर करने की ज़रूरत है कि इसी जहन्नम में उनको भी एक न एक दिन जलना पड़ेगा।

(शेष पेज 4 पर)

ग़ैब की पाँच कुन्जियाँ

अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह०

एक रिवायत में आता है कि नबी करीम स0अ0 ने फ़रमायाः "ग़ैब की पाँच कुन्जियाँ हैं, यानि ग़ैब दानी और ग़ैब की जानकारी को ज़ाहिर करने के लिये इन्हीं चीज़ों का सहारा लिया जाता है और ज़्यादातर लोग अपनी भविष्यवाणियां इन्हीं से जोड़ते हैं और ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ने पूरी तरह से अपने हाथ रखी हैं इसी लिये इनसे ग़ैब जुड़ा हुआ समझा जाता है। लिहाज़ा उनके बारे में ख़ास तौर से फ़रमा दिया गया कि उनका इल्म अल्लाह ही के पास है और अल्लाह के अलावा उनको कोई जान ही नहीं सकता।

नीचे इन पांचों चीज़ों को देखें:

1— माँ के गर्भ का ज्ञानः इनमें से पहली बात जो फ़रमायी वो ये है कि मां के पेट में क्या है? इसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। बच्चा है या बच्ची, अपूर्ण है या पूर्ण, हसीन है या बदसूरत है, बढ़ेगा, ताक़तवार होगा या नहीं होगा, छोटा रह जायेगा या क़द उसका छः फ़िट का होगा या सात फ़िट का होगा, उसके अन्दर क्या—क्या योग्यताएं हैं, किन योग्यताओं को लेकर आ रहा है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता और आजकल जो मां के पेट में मशीन से देखकर बता रहे हैं उस पर कभी कभी शक हो जाता है। मैं अलीगढ़ गया तो वहां के जो लाइब्रेरियन हैं मेंरा उनके पास जाना हुआ। उन्होंने कहा कि आप मौलवी मालूम होते हैं, एक हदीस में आता है कि मां के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन मशीन में देखकर तो मालूम हो जाता है कि नर है या मादा, तो हमने कहा कि आपने ही इसका मसला हल कर दिया अब क्या सवाल कर रहे हैं, हमने कहा, आप ही ने कहा कि, "देखकर बता देते हैं" देखकर बताना ये ग़ैब कहां हुआ। बग़ैर देखे बताइये और मशीन न लगाइये तो ग़ैब है। कहा, ऐसे तो नहीं बता पायेंगे और मशीन लगाकर भी ग़लत बता रहे हैं, इसी तरह बच्चा पेट में हैं आप पेट को फ़ाड़ दे तो बताएं कि लड़का था तो अब देख लिया तो बता दिया कि लड़का था इसमें क्या कमाल हुआ, कमाल तो ये है कि बग़ैर देखे बताएं जैसे बारिश नहीं हुई हो और बादल नज़र आ रहे हों अब जब बारिश हो जाए तो आप बताएं कि बारिश एक इंच हुई या दो इंच हुई लेकिन आप पहले बता दीजिए कि इतने इंच होगी तो ऐसे नहीं बता सकते। जबकि बादल देखकर इतना तो बता सकते हैं कि बारिश होगी।

लिहाज़ इसी तरह आसार देखकर बताते हैं कि बच्चा होगा, सिर्फ़ उम्मीदें होती है लेकिन हक़ीक़त क्या होती है कोई नहीं जानता, तो ऐसे ही देखकर बता देना या जिसने देखा है वो बता दे और आप बता दें जैसे बहुत से अल्लाह के नेक बन्दे ख़्वाब में देखकर ये बता देते हैं कि क्या होने वाला है लड़का या लड़की तो ये हो सकता है।

हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि0 का जब विसाल होने लगा तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ि0 से कहा कि तुम्हारा एक भाई होने वाला है। उसका भी जायदाद में हिस्सा होगा अब जब हज़रत अबूबक्र रज़ि0 ने बता दिया तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ने उनको बता दिया था। जो सबकुछ जानता है उसने बताया है तो ऐसे ही मशीने से देखकर बताना कोई कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि बग़ैर देखे बताया जा सके कि मां के पेट में क्या है?

भविष्य का ज्ञानः ऐसे ही कल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। ये सब बिल्कुल अलग—अलग चीज़ें हैं। आज सब हैरत में हैं कि कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, कि कौन करेगा? किस की हड्डी टूटेगी? किसके सर पर पत्थर गिरेगा कि सर फूट जायेगा? और कौन तरक़्क़ी करेगा, किसको परवाना मिलेगा? ये सब चीज़ें कोई नहीं जानता। ये सब चीज़ें ग़ैब की हैं। सारी चीज़ें पर्दे के पीछे हैं। इसलिये आदमी बस अल्लाह से भलाई मांगता रहे कि जो आने वाला दिन हो वो बेहतर हो, बाक़ी जानता कोई कुछ नहीं। फालिज हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं, अचानक अटैक पड़ जाता है, ये कहाँ से हो गया? कोई नहीं जानता था।

बारिश के होने का इल्मः इसी तरह बारिश कब होगी

कोई नहीं जानता। इसमें वही बात है, बारिश कब होगी, बादल आते हैं और चले जाते हैं बारिश नहीं होती, और धूप निकली हो लेकिन बादल आते हैं और बारिश हो जाती है। अब कितनी होगी या नहीं होगी ये कोई नहीं जानता। बाद में नाप करके बताते हैं कितने इंच बारिश हुई।

मौत का ज्ञानः इसी तरह कोई ये नहीं जानता कि कब और कहां उसकी मौत होगी। किस ज़मीन पर उसकी मौत होने वाली है। इसकी भी अजीब व ग़रीब घटनाएं हैं कि आदमी परेशान होता है कहीं चला जाता है। देश के बंटवारे से ऐसे कितने वाक़्ये जुड़े हैं। हज़ार चाहने के बावजूद आदमी पता नहीं कहां जाकर मरे और कैसे मरे? कोई एक्सिडेन्ट में मर जाता है, कोई अटैक में जा रहा है, कोई किसी बीमारी में जा रहा है, कोई किसी और तरीक़े से जा रहा है। कोई कहां जा रहा है कुछ पता नहीं।

हज़रत सुलेमान अलै0 के दौर की घटना है कि एक बार हज़रत सुलेमान अलै0 तशरीफ़ फ़रमा थे और मौत के फ़रिश्ते आये और उनके पास एक साहब और बैठे हुए थे। मौत के फ़रिश्ते ने कहा कि इस शख़्स की रूह फ़लां जगह सैंकड़ो मील की दूरी पर क़ब्ज़ करना है और उसका वक़्त क़रीब है और ये यहां बैठा हुआ है और आर्डर ये है कि उसकी रूह वहां क़ब्ज़ की जाए। बस एकदम उसको घबराहट हुई और उसने कहा कि हज़रत मैं वहां जाना चाहता हूं, हालांकि कोई वजह नहीं थी, तो हज़रत सुलेमान अलै0 मुस्कुराए कि मौत उसको ले जा रही है तो अपने तख़्त को आर्डर दिया कि उस पर बैठ जाओ और उड़कर वहां पहुंच जाओ।

ऐसे ही आजकल जहाज़ हैं कि लोगों के कितने वाक़्ये है कि यहां से उड़ कर गये और वहां इन्तिक़ाल हो गया। मालूम होता है कि हवाई जहाज़ से मौत के लिये गये थे। तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि किस ज़मीन पर किसकी मौत होनी है?

क़यामत का ज्ञानः इसी तरह अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि क़यामत कब आयेगी? और जो जानने के दावेदार हैं, वो सब झूठे हैं, कब आयेगी उसकी अलामतें बता दें। जैसे बारिश की पहचान है वैसे ही क़यामत की पहचान है। हर चीज़ की पहचान है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि बारिश होने वाली है लेकिन नहीं हुई और कई बार इसके विपरीत भी होता है, लेकिन बड़े–बड़े माहिर बता देते हैं कि बारिश होगी। लेकिन ये भी कोई क़ाएदाए कुल्लिया नहीं है, बल्कि अपवाद हैं। इसीलिये आदमी को इस बात पर पूरा यक़ीन होना चाहिये कि अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं, जो ग़ैब का जानने वाला हो। किसकी मौत कहां होगी? क़यामत कब आयेगी? मां के पेट में क्या है? ये सब और उसके अलावा भी जो ग़ैब की चीज़ें हैं उनको कोई नहीं जानता। ये भी तौहीद है और जो लोग इधर उधर की ग़ैब की ख़बरें बयान करते हैं जिनकी कोई हक़ीक़त नहीं होती बस उन लोगों को कुछ मालूम हो जाता है और फिर वो अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर हाकंते रहते हैं और समझते हैं कि उनको ग़ैब का इल्म है लेकिन ये सही बात नहीं है कि उस पर यकीन या एतबार किया जा सके अस्ल तो अल्लाह की तौहीद है कि नुमाया ख़बरों का जानने वाला भी उसी को माना जाये।

शेष : मानवता के दुश्मन

आवश्यकता इस बात की है कि वास्तविकताओं से पर्दे उठाये जायें, दुनिया को सही बात मालूम हो सके और लोग अपने अस्ल दुश्मन से होशियार हो सकें। जो लोग अपने फ़ायदे के लिये सब कुछ करने को तैयार रहते हैं उनकी हक़ीक़त लोगों के सामने आ सके। ये काम सबसे बढ़कर मीडिया का था, मगर अफ़सोस की वो भी आज़ाद नहीं, ख़बरें जो भी आती हैं गु़लामाना ज़हनियत के साथ आती हैं, जिसमें आमतौर पर सच नहीं होता।

लोग अपने आस–पास से बेख़बर हैं। रात को दिन और दिन को रात बताया जाये तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसको एक साधारण दिमाग़ रखने वाला भी समझ सकता है, ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है जो मानवता के सर पर मंडरा रहा है, ज़रूरत इस बात की है कि अक़्ल वाले इस पर ग़ौर करें और ख़बरों पर भी आंख बन्द करके भरोसा न करें, लोगों से मिलकर देखें, हालात का सही जायज़ा लें, और मानवता की भलाई के लिये आगे आयें, और मानवता की हिचकोले लेती नाव को जिसे डुबोने के लिये बड़ी–बड़ी ताक़ते लगी हुई हैं, उसको बचाने की चिन्ता करें और थोड़ा सा रुटीन से हटकर अपने दिमाग़ का इस्तेमाल करें तो शायद हालात नये करवट लें और इन्सानों को इन्सानियत का सही मज़ा आये।

नक़्शों को तुम न जांचो लोगो से मिलकर देखो।
क्या चीज़ जी रही है क्या चीज़ मर रही है।।

हालात क्यों नहीं बदलते?

मौलाना अज़ीज़ुल हसन सिद्दीक़ी

कोई महीना ऐसा नहीं गुज़रता कि देश में कहीं न कहीं छोटे पैमाने पर नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर वैचारिक सभा का आयोजन न होता हो, जिसमें देश के विख्यात लीडर और जातीय वर्गों के संरक्षक सम्मिलित होते हों। ये तो सामूहिकता की बात हुई। विभिन्न वर्गों के ज़िम्मेदार भी लगातार विचार करते रहते हैं और उपाय खोजते हैं। ये उपाय सरकार को भेजे जाते हैं किन्तु समस्या ज्यों की त्यों रहती है। लीपा पोती और मुंह छूने वाली का बात की हम चर्चा नहीं करते, हम पूछना चाहते हैं कि हमारी बातों का और हमारी मांगों का क्या सरकार पर वास्तव में असर हुआ है और क्या कभी हमारी मांग पूरी भी हुई है?

सवाल पैदा होता है कि हमारे मार्गदर्शक क्यों नहीं सोचते कि उनकी आवाज़ इतनी बेअसर क्यों हो गयी है?कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सफ़ों का कजी और हमारी आपसी फूट हमारी राह का रोड़ा बन रहा हो। सोचने की बात ये है कि हमारा मतभेद विरोध की सीमाओं में तो नहीं प्रवेश कर गया है।

अगर बात यही है तो सुधार के प्रयास होने चाहिये या नहीं?सरकार के सामने रोने गिड़गिड़ाने से काम चलने वाला होता तो कभी का हल हो गया होता। हमें अच्छी तरह याद है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल ग़फ़ूर ने बिहार के दंगो के बाद संसद में अटल बिहारी बाजपेयी को बड़ा भाई कहते हुए रो–रो कर फ़रियाद की थी। मगर न उनका दिल पसीजा और न किसी और को तरस आया। फ़ैसला जिस अदालत में होना है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं, बात बने तो कैसे बने, हम प्रार्थनापत्र वहां लेकर जा रह है जहां हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम जुलूस निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मगर उसका कोई असर नहीं होता। इसी देश में मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर से हज़ारों क़बाइलियों, बेज़मीन किसानों और मज़दूरों का एक जत्था चल कर अभी आगरा पहुंचता है कि केन्द्र सरकार एक मंत्री को आगरा भेजती है ताकि वो जत्थे के नेता पी.वी. राजा ग्वालियर को विश्वास दिलाये कि सरकार उनके साथ है, इस प्रकार केन्द्र सरकार दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले ही आन्दोलन चलाने वालों और सरकार के मध्य एक संधि हो जाती है और मांगे मान ली जाती हैं।

सरकारें झुकती हैं मगर सबके सामने नहीं, उन्हीं के आगे झुकती हैं जो झुकाना जानते हैं। हम आपस में और बिरादरियों में लड़ते रहें, संस्थाओं और जमाअतों में बंटवारों का चक्कर चलता रहे तो ज़ाहिर है कि हमारी कौन सुनेगा और हमें कौन मानेगा। जब किसी तबक़े और गिरोह की हवा उखड़ जाती है तो यही होता है। इस बिन्दु पर विचार करने की आवश्यकता है या नहीं कि ग्वालियर से जो कारवां रवाना हुआ था, उसका केवल एक नेता था, हमारे नेताओं की संख्यां कितनी है, ज़रा गिन कर बता दीजिए?

क़ुरआन का साफ़–साफ़ ऐलान है कि तुम आपस में लड़ोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जायेगी। मगर हमें फ़ुरसत कहां है कि क़ुरआन को हाथ लगाएं, उसको हरज़े जान बनाएं, क़ुरआन तो बस चूम कर ऊंची जगह रख देने की चीज़ है, जहां आसानी से हाथ न पहुंच सके। पश्चिमी देशों के लोग क़ुरआन का अध्ययन करके ईमान ला रहे हैं और हम हैं कि क़ुरआन से फ़ाल निकाल रहे हैं, तावीज़ और गण्डे तैयार कर रहे हैं। मगर क़ुरआन के हुक्मों पर अमल करने के लिये हमारे पास वक़्त नहीं है। हमने क़ुरआन की हिफ़ाज़त की होती तो हमारी हिफ़ाज़त भी ज़रूर होती। हमें क़ुरआन उस वक़्त याद आता है जब हमारे किसी अज़ीज़ की मौत हो जाती है और हम क़ुरआन की कुछ जिल्दें हदिया कराके मस्जिदों में रख आते हैं, जबकि हर मस्जिद में बड़ी तादाद में क़ुरआन पाकी की जिल्दें पहले से मौजूद होती हैं। सालों साल उनको हाथ लगाने की नौबत नहीं आती, मगर हमसे ये न हो सकेगा कि क़ुरआन के तर्जुमे क़ुरआन की तालीम से महरूम लोगों तक पहुंचाने का काई इन्तिज़ाम करें। क़ुरआन की तालीम के मकतबों और मदरसों में ज़िम्मेदारों के अनुसार मुसलमानों के 2.5 प्रतिशत बच्चे जाते हैं और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 4 प्रतिशत जाते हैं। .... (शेष पेज 19 पर)

इस्लामी अक़ीदा

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

आलमे बरज़ख़: मरने के बाद क़यामत से पहले जो मरहला है वह आलमे बरज़ख़ कहलाता है। बरज़ख़ के माने बीच की चीज़ के हैं जो दो चीज़ों के बीच रहती है और पर्दा बन जाती है। आलमे दुनिया और आलमे आख़िरत के बीच का ये समय है इसीलिये इसको बरज़ख़ कहते हैं। सूरह मोमिनून में इसका बारे में आया है। इरशाद होता है: "और उनके पीछे एक पर्दा है उस दिन तक जब वो उठाए जायेंगे।" (अलमोमिनून: 100)

मरने के बाद इस मरहले में इन्सान जहां भी होता है उसको क़ब्र कहते हैं। चाहे वह मिट्टी के अन्दर हो समुन्द्र या दरिया के बीच में हो या किसी जानवर के पेट में, इन्सान मरने के बाद जहां कहीं भी हो, उसको जलाकर उसकी राख को समुन्द्रों, नदियों या ज़मीन पर कहीं भी उड़ाया गया हो, उसको किसी जानवर ने खा लिया हो, वही उसके लिये क़ब्र है। अल्लाह तआला उसको वहां से क़यामत के दिन उठाकर खड़ा कर देगा।

"और अल्लाह उन सबको उठाएगा जो क़ब्रों में हैं।" (अलहज: 7)

उस आलमे बरज़ख़ को मानना भी आख़िरत पर ईमान ही का हिस्सा है। उस पर्दे के हटते ही क़यामत बरपा हो जायेगी जिसको 'बास बादुल मौत' कहते हैं। फिर हिसाब व किताब के बाद जन्नत वाले जन्नत में और दोज़ख़ वाले दोज़ख़ में डाल दिये जायेंगे।

इस बीच के मरहले (आलमे बरज़ख़) की राहत या तकलीफ़ का ज़िक्र आयत व हदीसों में ख़ूब मिलता है। कुरआन मजीद में फ़िरऔनियों के बारे में आलमे बरज़ख़ के अज़ाब का तज़किरा बड़े साफ़ तौर से मौजूद है। और इरशाद होता है: "और फ़िरऔन वालों पर बुरी तरह का अज़ाब टूट पड़ा वो आग है जिस पर सुबह व शाम उनको तपाया जाता है और जिस दिन क़यामत आयेगी (कहा जायेगा कि) फ़िरऔन के लोगों को सख़्त तरीन अज़ाब में दाख़िल करो।" (अलग़ाफ़िर: 45–46)

ये तकलीफ़ या राहत मौत के वक़्त ही से शुरू हो जाती है। बहुत सी आयतों में इसका ज़िक्र है। एक जगह इरशाद है: "और अगर आप देख लें जब ये नाइंसाफ़ मौत की कठिनाइयों में होंगे और फ़रिश्ते हाथ फैलाये (कहते) होंगे कि निकालो अपनी जान आज तुम्हें ज़िल्लत का अज़ाब दिया जायेगा इसलिये कि तुम अल्लाह पर नाहक़ बातें कहते थे उसकी निशानियों से अकड़ते रहते और अब एक एक करके हमारे पास पहुंच गये जैसे पहली बार हमने तुम्हें पैदा किया था और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा था वो सब पीछे छोड़ आये और हमें तुम्हारे साथ वो सिफ़ारिशी भी नज़र नहीं आते जिनके बारे में तुम्हारा ख़्याल ये था कि वो तुम्हारे मामलों में (हमारे) शरीक हैं, तुम आपस में टूट कर रह गये और तुम जो वादे किया करते थे वो सब तुमसे हवा हो गये।" (इनआम: 93–94)

सूरह अनफ़ाल में इरशाद है: "और अगर आप देख लें कि जब फ़रिश्ते काफ़िरों की जान निकाल रहे हों उनके चेहरों और पुश्त पर मारते जाते हों और (कहते जाते हों) कि जलने के अज़ाब का मज़ा चखो, ये नतीजा है तुम्हारे गुज़रे हुए करतूतों का और अल्लाह अपने बन्दों पर ज़रा भी ज़ुल्म नहीं करता।" (अनफ़ाल: 50–51)

निम्नलिखित आयतों में नेक व बद का ज़िक्र मौजूद है। नेकों को कैसी बशारतें मौत के वक़्त ही से शुरू हो जाती हैं, इरशाद होता है: "तो फिर क्यों न जिस वक़्त जान हलक़ को पहुंचती है, और तुम उस वक़्त को देख रहे होते हो, और हम तुमसे ज़्यादा उससे क़रीब हैं हालांकि तुम नहीं देखते, तो अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो तो क्यों (ऐसा) नहीं हो जाता, कि तुम उसको लौटा दो अगर तुम (अपनी बात में) सच्चे हो, फिर अगर वो (मरने वाला) मुक़र्रबीन (बारगाहे इलाही) में हुआ, तो मज़े ही मज़े ही हैं और ख़ुशबू ही ख़ुशबू है और नेमतों भरा बाग़ है, और अगर वो दायीं तरफ़ वालों में हुआ तो तेरे लिये सलाम ही सलाम (के नज़राने) हैं कि तू दायीं तरफ़ वालों में है, और अगर वो झुठलाने वालों गुमराहों में हुआ, तो खौलते पानी से (उसकी) तवाज़ो होगी, और (उसे) जहन्न्म रसीद किया जायेगा।" (अलवाक़्यात: 83–94)

अल्लाह ने अपने नेक बन्दों के लिये मौत के वक़्त कैसी बशारतें रखी हैं, उनको कैसी मुहब्बत भरी सदाएं सुनायीं देती हैं: "ऐ वो जान जो सुकून पा चुकी, अपने रब की तरफ़ इस तरह लौट कर आजा कि तू उससे राज़ी वो तुझसे राज़ी, बस मेरे ख़ास बन्दों में शामिल हो जा और

मेरी जन्नत में दाख़िल हो जा।" (फ़ज्रः 28–29)

इसी आलमे बरज़ख़ की तफ़सील हदीस में भी आयी है, एक जगह आप स0अ0 का इरशाद हैः "हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स0अ0 ने इरशाद फ़रमायाः जब तुममें से कोई मरता है तो उस पर सुबह व शाम उसका अस्ल मक़ाम पेश किया जाता है, अगर वो जन्नत वालों में से होता है तो जन्नत और अगर जहन्नम वालों में से है तो जहन्नम, फिर उससे कहा जाता है कि तेरी जगह उस वक़्त तक के लिये जब तू क़यामत के लिये उठाया जायेगा।"

(सही मुस्लिमः 739)

क़ब्र में सवाल व जवाबः हदीसों में आप स0अ0 से नक़ल है कि मरने के बाद क़ब्र में दो फ़रिश्ते आते हैं और वो मरने वाले से तौहीद व रिसालत के बारे में सवाल करते हैं:

अबूदाऊद में हज़रत बरा इब्ने आज़िब से रिवायत हैः "मरने वाले के पास दो फ़रिश्ते आते हैं, वे उसको बिठाते हैं और पूछते हैं: तेरा रब कौन है? वो कहता हैः मेरा रब अल्लाह है। फिर फ़रिश्ते पूछते हैं: तेरा दीन क्या है? वो कहतो हैः मेरा दीनी इस्लाम है। फिर फ़रिश्ते कहते हैं कि इस शख़्स के बारे में तुम क्या कहते हो जो तुम्हारे बीच भेजा गया? वो अल्लाह के रसूल स0अ0 हैं। फ़रिश्ते कहते हैं तुमको कैसे मालूम हुआ? वो जवाब देता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की।" फिर आसमान से एक आवाज़ आयेगी कि मेरे बन्दे ने सच कहा, उसे जन्नत का बिस्तर दो, उसके लिये जन्नत का दरवाज़ा खोल दो, उसे जन्नत का लिबास पहनाओ, फिर उसको जन्नत की खुशबूदार हवाएं आती हैं और जहां तक निगाह जाती है उसकी क़ब्र कुशादा कर दी जाती है।

और जब मरने वाला काफ़िर होता है तो क़ब्र में लिटाये जाने के बाद फ़रिश्ते उससे सवाल करते हैं:

"तेरा रब कौन है? वह कहता है हाय हाय मुझे नहीं मालूम! फिर फ़रिश्ते उससे पूछते हैं: तेरा दीन क्या है? हाय हाय मुझे नहीं मालूम! फिर फ़रिश्ते कहते हैं कि इस शख़्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे बीच भेजा गया था? तो वो कहता हैः हाय हाय मुझे नहीं मालूम! फिर आसमान से एक आवाज़ आती है कि उसने झूठ कहा, उसे जहन्नम का बिस्तर दो, जहन्नम का लिबास पहना दो, और उसके लिये जहन्नम के दरवाज़े खोल दो।" वहां उसको झुलसा देने वाले झोंके आते रहते हैं, और उसकी क़ब्र इतनी तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियां आपस में घुस जाती हैं।

कुरआन मजीद की आयत में भी इसकी तरफ़ इशारा मौजूद है, इरशाद हैः "और अल्लाह ईमान वालों को मज़बूत बात से इस दुनिया में भी मज़बूत करता है और आख़िरत में भी, और अल्लाह ज़ालिमों को गुमराह करता है, और अल्लाह तो जो चाहता है करता है।"

(इब्राहीमः 27)

इसकी तफ़सीर हदीसों में भी बयान की गयी है कि इससे मुराद क़ब्र में तौहीद व रिसालत के बारे में सवालों का होना है, सही मुस्लिम की रिवायत में आता हैः

हज़रत बरा इब्ने आज़िब रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल स0अ0 ने इरशाद फ़रमायाः "और अल्लाह ईमान वालों को मज़बूत बात से इस दुनिया में भी मज़बूत करता है और आख़िरत में भी, और अल्लाह ज़ालिमों को गुमराह करता है, और अल्लाह तो जो चाहता है करता है" ये सूरह क़ब्र के अज़ाब के संबंध में नाज़िल हुई है, बन्दे से पूछा जायेगा, "तुम्हारा रब कौन है? वो जवाब देगा, "मेरा रब अल्लाह है, और मेरा नबी मुहम्मद स0अ0 हैं", मानो अल्लाह तआला के इस क़ौलः "और अल्लाह ईमान वालों को मज़बूत बात से इस दुनिया में भी मज़बूत करता है और आख़िरत में भी, और अल्लाह ज़ालिमों को गुमराह करता है, और अल्लाह तो जो चाहता है करता है।" से मुराद बन्दे का इस तरह जवाब देना है।

आलमे बरज़ख़ में जो कुछ होता है, ज़ाहिरी तौर पर मरने वाले के जिस्म पर उसका असर नहीं आता है, इसलिये कि इसका अस्ल संबंध रूह से होता है और बड़ी हद तक उसकी मिसाल गहरी नींद से दी जा सकती है, सोने वाला न जाने ख़्वाब में कहां कहां की सैर करता है, और तरह तरह की खुशियां उसको हासिल हो रहीं होती हैं या बहुत तकलीफ़ महसूस करता है, लेकिन पास बैठा दूसरा इन्सान इसको बिल्कुल महसूस नहीं कर पाता, इसी तरह मरने वालों के एहसासों का संबंध उसकी रूह से और उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसको दूसरा उसके जिस्म पर महसूस नहीं कर सकता कि वो दुनिया ही दूसरी है।

प्रस्व रक्त व अनियमित माहवारी के शरई आदेश

मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी

निफ़ास क्या है? निफ़ास (प्रस्व रक्त) का शाब्दिक अर्थ औरत का बच्चे को जन्म देने के हैं और शरीअत के शब्दों में निफ़ास के माने जन्म के बाद जारी होने वाले ख़ून के हैं। (शामीः 219/1)

निफ़ास का न्यूनतम व अधिकतम समयः निफ़ास के न्यूनतम समय की कोई सीमा नहीं है, अगर थोड़ी देर भी ख़ून आकर बन्द हो जाये तो उस पर पाक औरत के हुक्म लागू होंगे, जबकि अधिकतम समय सीमा चालीस दिन है। चालीस दिन से ज़्यादा ख़ून आये तो इस्तेहाज़ा (अनियमित माहवारी या बीमारी) का होगा। इसीलिये तिरमिज़ी, अबूदाऊद इत्यादि में हज़रत उम्मे सुलैम रज़ि0 से रिवायत है, फ़रमाती हैं: "निफ़ास वाली औरत आप स0अ0 के ज़माने में चालिस दिन बैठती थी।" (शामीः 1/219–220)

जब गर्भपात हो जायेः अगर बच्चा समय से पहले गिर जाये या गिरा दिया जाये (ध्यान रहे कि अगर चार महीने से कम का गर्भ है तो किसी मजबूरी के कारण से गर्भपात की शरई गुंजाइश हो सकती है लेकिन अगर चार महीने से अधिक का गर्भ है तो शरीअत में किसी भी सूरत में गर्भपात जायज़ नहीं) तो यदि किसी बच्चे की उंगली, नाख़ून या बाल इत्यादि कोई अंग बन गया था तो वो पूरे बच्चे के हुक्म में होगा और उसके बाद जारी होने वाला ख़ून निफ़ास का ख़ून माना जायेगा। ये अंग चार महीने पूरे होने पर ज़ाहिर होते हैं। अतः इस तरह भी कहा जा सकता है कि चार महीने में गर्भपात हो जाये तो निफ़ास के आदेश लागू हो जायेंगे और अगर उससे पहले गर्भपात हो गया हो या कराया गया हो तो जारी होने वाला ख़ून निफ़ास का नहीं माना जायेगा, बल्कि अगर ये तीन या उससे ज़्यादा दिन जारी रहे और उससे पहले पन्द्रह दिन या उससे ज़्यादा पाकी की मुद्दत रहे तो माहवारी के आदेश लागू होंगे, अगर ये ख़ून तीन दिन से कम रहे या तीन दिन रहे लेकिन उससे पहले पन्द्रह दिन या उससे अधिक पाकी नहीं रही तो इस्तेहाज़ा का ख़ून होगा। इसी प्रकार दस दिन से अगर बढ़ जाये तो बढ़ने वाला इस्तेहाज़ा का ख़ून होगा। (शामीः 1/221)

अगर निफ़ास की कोई आदत होः– अगर किसी औरत का शुरूआती गर्भ है और उसे चालिस दिन से ज़्यादा तक ख़ून आता रहा तो चालिस दिन तक आने वाले ख़ून पर निफ़ास के आदेश लागू होंगे और जो उससे बढ़ जाये वो इस्तेहाज़ा का ख़ून घोषित किया जायेगा। और अगर किसी औरत के निफ़ास की कोई आदत है फिर उसको एक बार लगातार ख़ून आने लगा, यहां तक कि चालिस दिन से बढ़ गया तो वो निफ़ास का ख़ून केवल आदत के दिनों तक आने वाले ख़ून को घोषित किया जायेगा, बाक़ी के दिन इस्तेहाज़ा के होंगे।

जब आपरेशन से पैदाइश होः– आजकल नार्मल डिलेवरी के साथ आपरेशन से भी पैदाइश होती है। अगर होशियार डॉक्टर इसकी राय दे तो आपरेशन कराना जायज़ है, फिर आपरेशन के बाद जब शर्मगाह से ख़ून जारी हो जाये तो उसे निफ़ास वाली औरत घोषित किया जायेगा और अगर मान ले कि शर्मगाह से ख़ून न बहे तो उस पर गुस्ल उस सूरत में भी ज़रूरी हो जायेगा। (शामीः 1/219)

निफ़ास (प्रस्व रक्त) के आदेश : निफ़स के भी पूरे तौर पर वही आदेश हैं जो माहवारी के हैं। यानि इस हालत में नमाज़–रोज़ा नहीं कर सकती, नमाज़ माफ़ हो जाती है, लेकिन रोज़ों के बाद की क़ज़ा लाज़िम है, इसी तरह तिलावत भी करना उसके लिये मना है, पति के साथ सम्भोग भी नहीं कर सकती, पूरी तफ़सील हम माहवारी के आदेश में बयान कर चुके हैं, अतः दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

फिर जिस प्रकार माहवारी के ख़त्म होने पर गुस्ल आवश्यक है उसी प्रकार निफ़ास के ख़त्म होने पर भी गुस्ल आवश्यक है। (हिन्दियाः 1/39)

कुछ इलाक़ो में ये नियम है कि बच्चा जनने वाली औरतों का जब ख़ून रुक जाता है तो गुस्ल करती हैं, उसको छोटा गुस्ल कहा जाता है, लेकिन अभी अगर चालिस दिन न गुज़रे हों तो नमाज़, रोज़ा शुरू नहीं करती हैं, अपने को नापाक समझती हैं, फिर जब चालिस दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर नहाती हैं, उसको बड़ा गुस्ल कहा जाता है। इसके बाद अपने को पाक समझती हैं। और हमने जो तफ़सीलें बयान की हैं, उनसे अन्दाज़ा हो गया है कि ये तरीक़ा ग़लत है, जब ख़ून रुक जाए उसी वक़्त गुस्ल करके अपने को पास समझना चाहिये।

इस्तेहाज़ा क्या है? जब किसी औरत को लगातार ख़ून आये या ख़ून आने का जो समय है उसके अलावा के

दिनों में आये और उसको हैज़ या निफ़ास न क़रार दिया जा सकता हो, जैसे तीन दिन से कम आये या दस दिन से ज़्यादा आये, या पैदाइश के समय चालिस दिन से बढ़ जाए, या हैज़ व निफ़ास वाली औरत की पहले से जो आदत हो उससे बढ़कर हैज़ व निफ़ास वाली औरत की पहले से जो आदत हो उससे बढ़कर हैज़ व निफ़ास की समय सीमा से बढ़ जाये, तो ये इस्तेहाज़ा का ख़ून है। (हिन्दिया: 1/37–38)

आदी औरतों का हुक्मः अगर किसी औरत को इस तरह की ख़ून आने की बीमारी हो जाए तो अगर पहले से उसको हैज़ की कोई आदत थी, बाद में इस तरह की बीमारी हो गयी, तो हैज़ के जितने दिन हैं, उनको हैज़ माना जायेगा, फिर उनके ख़त्म होने के बाद नहायेगी और नमाज़ रोज़ा शुरू कर देगी। (शामी: 1/220)

इसलिये कि मुस्लिम व बुख़ारी इत्यादि में हज़रत उम्मे सलमा रज़ि0 की रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह स0अ0 से एक ऐसी औरत के बारे में पूछताछ की जिसको ख़ूब ख़ून आता था, तो आप स0अ0 ने फ़रमाया: उनको चाहिये कि उन रातों और दिनों के बारे में ग़ौर करें जिनमें उनको हैज़ आया करता था, और उनमें नमाज़ छोड़ दें, फिर वो ग़ुस्ल करें और शर्मगाह पर कपड़ा लपेट लें, फिर नमाज़ पढ़ें।

जो आदी न हों उन औरतों का हुक्मः और अगर इस बीमारी के साथ ही बालिग़ हुई, उसे पहले से हैज़ की कोई आदत नहीं थी, तो इस हाल में शुरूआती दस दिनों को हैज़ में गिना जायेगा, फिर नहा कर नमाज़ रोज़ा शुरू कर देगी और बीस दिन उसी तरह करती रहेगी, फिर अगले महीने के दस दिन हैज़ के मानकर नमाज़ रोज़ा छोड़ देगी। (शामी: 1/220)

आदत को भूल जाने वाली औरतों का हुक्मः और अगर उसको कोई आदत थी, लेकिन वो उस आदत को भूल गयी है, उसको ये याद नहीं है कि महीने में किस वक़्त और कितने दिन उसको हैज़ आता था और कितने दिन वो पाक रहती थी तो उसके लिये हुक्म ये है कि ख़ूब सोच विचार करे, और अगर किसी एक ओर अधिक झुकाव हो जाये तो उसी पर अमल करे, और जिस वक़्त उसे पक्का गुमान हो जाये कि हैज़ हो गया है, तो नमाज़ छोड़ दे, और जब ये पक्का गुमान हो कि अब इस्तिहाज़ा शुरू हो गया है तो ग़ुस्ल करके पाक हो जाये और नमाज़ रोज़ा शुरू कर दे। (शामी: 1/220)

इस्तेहाज़ा (अनियमित माहवारी या बीमारी) का हुक्मः जिन औरत को इस्तेहाज़ा हो वो माज़ूर के हुक्म में हैं, लिहाज़ा जिन दिनों के ख़ून को इस्तेहाज़ा क़रार दिया जायेगा, उन दिनों में अपने को पाक समझेंगी, नमाज़, दर्स व तदरीस और उस तरह के सभी काम कर सकती हैं, अल्बत्ता उसे माज़ूर की तरह हर नमाज़ के लिये अलग से वुज़ू करना होगा, फिर ये वुज़ू ख़ून बहने की वजह से उस नमाज़ के वक़्त में नहीं टूटेगा, लेकिन नमाज़ का वक़्त ख़त्म होते ही खुद ब खुद टूट जायेगा। (शामी: 1/218–219)

गर्भ के दौरान आने वाला ख़ूनः अगर किसी औरत को गर्भ के दौरान ख़ून आये तो उसको भी बीमारी का ख़ून कहा जायेगा। इसीलिये वो नमाज़ रोज़ा नहीं छोड़ेगी और अपने को पाक समझती रहेगी, यहां तक कि पैदाइश के समय भी जब कि अधिकांश बच्चा बाहर न आ जाये, उससे पहले आने वाला ख़ून बीमारी का ख़ून कहा जायेगा। (शामी: 1/208–209)

नौ साल से पहले आने वाला ख़ूनः बच्चियां नौ साल से पहले शरई तौर से बालिग़ नहीं होती। अतः अगर किसी बच्ची को नौ साल से पहले ख़ून आ जाये तो वो बीमारी का ख़ून होगा, और उस पर इस्तेहाज़ा के हुक्म लागू होंगे। (शामी: 1/208)

इसी तरह 55/साल के बाद आम तौर से औरतों को हैज़ आना बन्द हो जाता है, लेकिन अगर किसी औरत को इस उम्र के बाद भी ख़ून आना बन्द न हो और वो रंग लाल हो तो उसे इस्तेहाज़ा कहा जायेगा। (शामी: 1/222)

ल्यूकोरिया का हुक्मः बीमारी या कमज़ोरी की वजह से निकलने वाला सफ़ेद तरल पदार्थ नापाक होता है। उसके निकलने से वुज़ू टूट जाता है और कपड़े पर लग जाये तो उसे पाक करना ज़रूरी होता है। जिस औरत को कभी ये बीमारी हो जाये तो वुज़ू करके नमाज़ रोज़ा करती रहे, पूरा वक़्त इस तरह गुज़र जाये कि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने का मौक़ा न मिल पाये तो ये औरत माज़ूर के हुक्म में होती है अब इसके लिये एक नमाज़ के पूरे वक़्त में एक बार वुज़ू करना काफ़ी होगा, सफ़ेदी निकलने की वजह से उसे बार–बार वुज़ू नहीं करना पड़ेगा। ये हुक्म उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक कि हर नमाज़ में कम से कम एक बार ये होता हो। (किताबुल मसाएल: 1/220)

कुरआन करीम और जीवन व्यवस्था

अब्दुस्सुब्हान नाख़ुदा नदवी

ये बात कुरआन का हर पढ़ने वाला जानता है कि कुरआन करीम दुनिया के निज़ाम में अपनी हिस्सेदारी के लिये नहीं उतरा, बल्कि उसके नाज़िल होने का एक अहम और बुनियादी मक़सद दुनिया को ज़िन्दगी का सही निज़ाम देकर उसकी सही रहनुमाई करना है। कुरआन करीम ने अपना परिचय यूँ कराया है:

"बेशक ये कुरआन उस तरीक़े की तरफ़ रहनुमाई करता है जो सबसे ज़्यादा दुरुस्त है।" (बनी इस्राईल: 9) वो ये भी कहता है:

"अस्ल तारीफ़ अल्लाह की है जिसने अपने बन्दे पर किताब उतारी और उसमें किसी भी तरह की कजी नहीं रखी।" (कहफ़: 1) उसका अपने बारे में एक फ़रमान ये है: "बेशक ये कुरआन इज़्ज़त वाली किताब है। कोई ग़लत चीज़ इसके पास नहीं आ सकती। न उसके सामने से (यानि खुल्लम खुल्ला) और न उसके पीछे से (यानि चोरी छिपे) एक हिकमत वाली क़ाबिले तारीफ़ हस्ती की तरफ़ से इस किताब को उतारा गया है।" (हामीम सजदा: 41–42) लिहाज़ा कुरआन को मानने वालों की एक अहम ज़िम्मेदारी ये भी है कि वो दुनिया को कुरआन करीम की बरकतों से परिचित कराते रहें, अपने इल्म से, अमल से, किरदार से, और कुरआन करीम की सच्ची दावत से। अब रहा सवाल ये कि कुरआनी दावत को न मानने वालों के साथ शांतिपूर्ण सुरक्षित आपसी संबंधों से खुद कुरआन का क्या नज़रिया है?क्या ये संभव है या नहीं?इसका जवाब ''हां'' में है। और उसकी तफ़सील कुरआन की रोशनी में कुछ यूं है:

1– अगर किसी देश में मुसलमान और ग़ैरमुस्लिम समान अधिकार के साथ रहते हों तो ऐसे मौक़े पर दीन की दावत को एक मिशन के तौर पर अन्जाम देना पूरी उम्मत की ज़िम्मेदारी है और यही काम उन विशेष परिस्थितियों में अन्जाम दिया जाने वाला सबसे बड़ा जिहाद भी है। अल्लाह तआला का इरशाद है:

"अपने रब के रास्ते की दावत, हिकमत के साथ और अच्छे वाज़ व नसीहत के साथ दो, और सबसे बेहतर अन्दाज़ अपनाकर उनसे बहस व मुबाहसा भी करो, आपके रब को ख़ूब मालूम है कि कौन उसके रास्ते से भटका और वो ये भी जानता है कि कौन हिदायत पाये हुए हैं।" (अन्नहल: 125)

2– अगर वो हमारी दावत कुबूल कर लें तो सर आंखों पर, अगर वो बहस करें तो अच्छा अन्दाज़ अपनाकर उस बहस को अपने हक़ में नतीजा ख़ेज़ बनाएं। (और सबसे बेहतर अन्दाज़ बनाकर उनसे बहस व मुबाहसा भी करो) में इसकी तरफ़ इशारा भी मौजूद है। अगर ये भी मुमकिन न हो और वे कटजहती पर उतर आयें तो फिर बेकार में बहस को बढ़ावा न दिया जाये और ये कहा जाए कि मैं साहबे ईमान हूं और मुझे अपने इस्लाम पर इत्मिनान है, तुम्हें इस्लाम कुबूल हो तो क्या कहने, अगर कुबूल न हो तो सुन लो कि मैंने बात पहुंचा दी। बाक़ी अल्लाह सब देख रहा है।

"अगर वो लोग आपसे बहस व मुबाहसा करें तो फिर आप ये कह दें कि भाई मैंने तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया और मेरे साथ वाले भी ऐसा कर चुके, और (ऐ नबी) आप अहले किताब और अनपढ़ों से (यानि पढ़े लिखे और अनपढ़ों दोनों से) बस ये पूछिये कि क्या तुम्हें इस्लाम कुबूल है? अगर वो इस्लाम कुबूल कर लें तो वो हिदायत पा गये, अगर उन्होंने मुंह फेर लिया तो आपके ज़िम्मे बस यही है कि बात साफ़–साफ़ पहुंचा दें। बाक़ी अल्लाह तो अपने सब बन्दों को देख ही रहा है।" (आले इमरान: 20)

शांतिपूर्ण आपसी सुरक्षा या रवादारी का मतलब इन्सानी बुनियाद पर एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने का है, ये नहीं कि दोनों का दीन बिल्कुल एक हो। कुरआन करीम का ऐलान है:

"दीन तो अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ इस्लाम है।" (आले इमरान: 19) और वो ये भी कहता है:

"जो भी इस्लाम के अलावा किसी और दीन की चाहत रखेगा तो अल्लाह की तरफ़ से उसको कुबूल

नहीं किया जायेगा और ऐसा शख़्स आख़िरत में नामुराद होगा।" (आले इमरानः 85)

किसी को दावत दी जाए तो कुरआन की हिदायत ये है कि तरीक़ा तो अच्छा रखा जाये लेकिन दो अलग–अलग बयान एक साथ न मिलांए जायें। बल्कि यूं कहा जायेः

"हम हों या तुम, दोनों में एक या तो हिदायत पर है या खुली गुमराही पर।" (सबाः 24) "बस ग़ौर किया जाये कि कौन किस पर है।"

अगर वो अपनी किसी धार्मिक किताब का हवाला दे तो उसूली तौर पर ये बात कही जाएः

"और आप कहिये कि अल्लाह ने जो भी किताब उतारी है मैं उसे मानता हूं" (शूरा : 15)

3– उनके माबूदों को बुरा भला न कहा जाये। कुरआन का इरशाद हैः

"ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकारते हैं तुम उन माबूदों को बुरा भला मत कहो, जवाब में वो भी नाहक़ बग़ैर जाने बूझे अल्लाह को बुरा भला कहेंगे।" (अलईनामः 108)

इस आयत से ये उसूल मालूम होता है कि किसी भी क़ौम की धार्मिक शख़्सियत को बुरा भला न कहा जाये कि वो हमारी मोहतरम शख़्सियात को बुरा भला कहने लगें।

4– उनके धार्मिक कामों को जो शरीअत की निगाह में फ़िज़ूल हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाये, खुद उनके कामों में हरगिज़ दिलचस्पी न ली जाये। लेकिन जबर से उनको रोकने की कोशिश भी न की जाये। सूरह काफ़िरून में यही पैग़ाम दिया गया है कि अपने दीन पर पूरी ग़ैरत व खुद्दारी के साथ क़ायम रहा जाये। हक़ की दावत देते रहा जाये। फिर भी कोई अपने दीन को छोड़ने के लिये तैयार न हुआ तो उसे उसके दीन पर रहने दिया जाये। अस्ल फ़ैसला अल्लाह के दरबार में होगा। "हर उम्मत के लिये हमने उनको कामों को आसान बना कर रखा है फिर उनको पलटकर अपने रब ही के पास आना है, जो उनको बतला देगा कि वो कौन से काम कर रहे थे।" (अलईनामः 108)

5– उनकी तमाम सामाजिक रस्में जो शरीअत के निकट फ़िज़ूल और बेकार हैं उनसे अपना दामन बचाए रखा जाये न इसमें शामिल हों न जबर से उनको रोके। "जब उनके (अहले ईमान के) कानों में कोई फ़िज़ूल चीज़ पड़ जाती है तो वो रुख़ फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे आमाल हमारे साथ, तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ, तुमसे सलामती अच्छी, हम जिहालत ज़दा लोगों से राह व रस्म नहीं रखते हैं।" (क़ससः 55) या यह किः "उनको जब किसी बेहूदा चीज़ के पास से गुज़रना पड़ता है तो शराफ़त से गुज़र जाते हैं।" (फ़ुरक़ानः 72)

6– आम हुस्ने अख़लाक़ पर आधारित कामों से ऐसे लोगों को महरूम नहीं रखा जायेगा जो मुसलमानों से खुल्लमखुल्ला दुश्मनी नहीं रखते और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़ालिमाना कार्यवाहियां नहीं करते। उनके साथ हुस्ने सुलूक करने में कोई हर्ज नहीं। बल्कि इन्साफ़ के साथ साथ उनके साथ अच्छा बर्ताव भी शरीअत में मतलूब है।

"जो लोग दीनी मामले में तुमसे लड़ें नहीं और न तुम्हें अपने वतन से निकाला उनके साथ नेकी करने ओर इन्साफ़ का मामला करने से अल्लाह तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करता अल्लाह तो इन्साफ़ करने वालों को पसंद करता है।" (मुमतहिन्नाः 8)

7– इन्सानी हमदर्दी पर आधारित सभी काम जिस तरह मुसलमानों के साथ करना अज्र व सवाब है उसी तरह ग़ैरमुस्लिमों के साथ भी करना अज्र व सवाब है। कुरआन करीम में जहां कहीं भी किसी ग़रीब को खाना खिलाने या किसी ग़रीब को देने दिलाने की बात आयी है वहां मुसलमान और ग़ैर मुस्लिम में कोई अन्तर नहीं किया गया है। केवल कुछ ख़ास मामलों में मुसलमानों को देने की शर्त लगायी गयी है। जिनमें ख़ासकर सबसे आगे ज़कात है बाक़ी सभी कामों में ऐसा कोई फ़र्क़ नहीं है। रसूलुल्लाह स0अ0 की पूरी ज़िन्दगी हुस्ने सुलूक और एहसान से भरी पड़ी थी और उसमें अपने और ग़ैरों का कोई फ़र्क़ नही था।

8– न्याय व इन्साफ के अध्याय में इसकी सख़्त ताकीद है कि चाहे कोई दीनी दुश्मनी ही क्यों न हो लेकिन अगर उसका हक़ बनता है तो ज़्यादती करके उसे उसके हक़ से महरूम करना जायज़ नहीं है। मक्का

के मुश्रिक ने नाजायज़ तौर पर मुसलमानों को मस्जिदे हराम में जाने से रोका था इस पर मुसलमान सख़्त नाराज़ थे लेकिन इस नाराज़गी की बुनियाद पर ख़ुद मुसलमानों को ज़्यादती की इजाज़त नहीं दी गयी बल्कि सख़्ती के साथ मना किया गया।

"किसी क़ौम की तुम्हारे साथ ये दुश्मनी कि उन्होंने तुम्हें मस्जिदे हराम से रोका तुम्हें हरगिज़ इस पर आमादा न करके कि तुम ज़्यादती करने लग जाओ।" (अलमाइदाः 25)

9– सामूहिक ख़ैर व भलाई के काम जिस तरह मुसलमान आपस में मिलकर करते हैं उसी तरह ग़ैर मुस्लिमों को भी शामिल करके किये जा सकते हैं बस शर्त ये है कि उनके धार्मिक मामलों में क़दम न पड़ें। यानि इन्सानियत की बुनियाद पर तमाम ख़ैर का काम करने की इजाज़त हैं। अल्बत्ता अपनी धार्मिक पहचान पर कभी आंच न आये। ये अव्वल व आख़िर शर्त है जिसे नज़रअन्दाज़ नहीं किया जा सकता है।

10– किसी के पड़ोस में कोई ग़ैर मुस्लिम रहता हो तो हमसायगी के हक़ में वो भी शरीक माना जायेगा। क़ुरआन करीम की एक आयत में जहां हक़ की अदायगी ही नहीं बल्कि उससे आगे बढ़कर हुस्ने सुलूक की अदायगी की गयी है वहीं ग़ैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ भी हुस्ने सुलूक पर ज़ोर दिया गया है। अल्लाह का इरशाद हैः "अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ कुछ शरीक न करो, वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो, क़रीबियों, यतीमों, ग़रीबों, क़ुर्ब रखने वाले पड़ोसी, अजनबी पड़ोसी, पहलू के साथी, राह चलते मुसाफ़िर और अपने ज़ेरे मिल्कियत बांदी और ग़ुलाम सबके साथ अच्छा बर्ताव रखो। अल्लाह तआला किसी अकड़ने वाले घमन्डी को पसंद नहीं करता।" (अलनिसाः 36) बहुत से तफ़सीर करने वालों ने (अजनबी पड़ोसी) का मतलब ग़ैर मुस्लिम पड़ोसी बताया है। रसूलुल्लाह स0अ0 का तरीक़ा भी यही था कि यहूदी पड़ोसियों के साथ भी अच्छे व्यवहार के मामले हदीसों व सीरत की किताबों में मिलते हैं। एक बार आंहज़रत स0अ0 के घर में कोई चीज़ पकी या कहीं से आयी तो आप स0अ0 ने पूछा कि क्या तुमने फ़लां यहूदी पड़ोसी को इसमें से हदिया किया? इसी तरह एक यहूदी लड़का कभी कभार आप स0अ0 की ख़िदमत किया करता था एक बार वो सख़्त बीमार हुआ तो उसे देखने के लिये आप स0अ0 स्वयं तशरीफ़ ले गये। देखने के दौरान उसे इस्लाम की दावत भी दी जो उसके क़ुबूल कर ली आप स0अ0 जब वापिस आये तो ज़बान पर ये कलिमा थे। (अस्ल तारीफ़ तो अल्लाह की है जिसने उसे आग से बचा लिया)

11– शिर्क अल्लाह तआला को किस क़दर नापसंद है, हर मुसलमान इसको जानता है। अल्लाह तआला का फ़ैसला ये हैः "बेशक अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाये अलबत्ता शिर्क से कमतर गुनाहों को जिसके हक़ में चाहेगा माफ़ कर देगा।" (अन्निसाः 48)

इसके बावजूद ख़ुद अल्लाह तआला का ये भी फ़रमान है कि किसी के मां बाप अगर मुश्रिक हों और वो अपनी औलाद पर शिर्क के लिये दबाव भी डालते हों तो उनकी ये बात तो नहीं मानी जायेगी, लेकिन उनके साथ अच्छे सुलूक के सिलसिले को फिर भी नहीं छोड़ा जायेगा। अल्लाह तआला का इरशाद हैः

"अगर वो दोनों तुम पर दबावा डालें कि मेरे साथ किसी को शरीक करो जिसके बारे में तुम्हें कोई इल्म न हो (यानि जिसका कोई वजूद ही न हो) तो उनकी ये बात न मानना अल्बत्ता दुनिया में उनके साथ भले अन्दाज़ में गुज़र–बसर रखना।" (लुक़मानः 15)

जहां मुसलमान रहते हों या जहां मिली जुली आबादी हो वहां सामाजिक शांति स्थापित रखने बल्कि उसे बढ़ावा देने के ये वो बुनियादी व स्थायी नियम हैं जो क़ुरआन करीम ने आज से चौदह सौ साल पहले बताए हैं, जिन पर मुसलमान चले, और एक आलम को अपना गरवीदा किया। इस्लाम को फैलाने के दावती मिशन में इससे फ़ायदा उठाया और दुनिया को दिखाया कि समाज अमन व शांति का गहवारा कैसे बनता है। यही अस्ल रवादारी है और क़ुरआन का बख़्शा हुआ ग़ैरतमन्द अमन का विचार है।

क़ुरआन करीम की ये हकीमाना हिदायतें और सीरत की ये छाप हमें ये बताती हैं कि समाज में शांति किस प्रकार क़ायम की जाती है और उसके द्वारा अपने दावत के मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाता है।

ईरान और इस्राईल के बीच ख़ुफ़िया संबंध

• इस्राईली दैनिक समाचारपत्र 'यदयऊत अहरनूत' के अनुसार ईरानी धरती पर इस्राईली पूंजी का ग्राफ़ 30/बिलियन डालर से आगे बढ़ चुका है। हक़ीक़त की दुनिया का ये मन्ज़र नामा है, जबकि दूसरी तरफ़ सरकारी सतर पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिये दोनों के बीच शब्दों का युद्ध चल रहा है।

• 'यदयऊत अहरनूत' का ये भी कहना है कि कम से कम 200/इस्राईली कम्पनियों के ईरान के साथ व्यापारिक संबंध हैं जिनमें से अधिकतर तेल की कम्पनियां हैं जो ईरान के अन्दर पूंजी लगा रही हैं।

• ईरानी यहूदियों के लिये इस्राईल में सबसे बड़े संरक्षक हाख़ाम (यहूदी धर्मगुरू) येदीदिया शोफ़ेट (Yedidia Shofet) के ईरानी पवित्र स्थलों के ज़िम्मेदार से गहरे संबंध है।

• इस्राईल में बसने वाले 2 लाख/ईरानी यहूदी अपने ईरानी सरपरते आला हाख़ाम येदीदिया शोफ़ेट (Yedidia Shofet) से मार्गदर्शन लेते हैं। याद रहे कि ये बड़े-बड़े हाख़ाम ईरानी शासकों विशेषतयः भौगोलिक वर्ग से लगाव रखते हैं।

• केवल तेहरान में यहूदी इबादतगाहों की संख्यां बढ़कर 200 से भी पार हो गयीं हैं। जबकि तेहरान में सुन्नियों की संख्यां 15 लाख से भी अधिक होने के बावजूद अभी तक उनके लिये किसी मस्जिद के निर्माण की इजाज़त नहीं है और न ही अपने अहाते में छिप छिपाकर जमाअत से नमाज़ की उनको इजाज़त है।

• इस्राईल अमरीका के यहूदी हाख़ामों और ईरान के बीच लिंक प्वाइन्ट एक ईरानी हाख़ाम ओरियल डेवेडी सेल ही है जो अहमदी नज़ाद और ख़ामनाई के क़रीबी लोगों में से है।

• कनाडा, बर्तानिया और फ़्रांस में केवल सत्तर हज़ार ईरानी यहूदी ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी तेल कम्पनियों के या तो मालिक हैं या हिस्सेदार हैं, और उनमें कुछ तो बर्तानिया के राजघरानों के सदस्य भी हैं।

• ईरान पर आर्थिक पाबन्दी न लगाने बल्कि ईरान की उन्नति के लिये व्यापार को बढ़ावा देने, यहूदी कम्पनियों के लिये संभावनांए तलाश करके उसकी राहें हमवार करने के लिये, यहूदी लाबी के द्वारा अमरीकी शासन पर अमरीकी यहूदियों का दबाव बनाने में भी ईरान को ख़ासी सफलता मिली है।

• संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बसने वाले अमरीकी यहूदियों में बारह हज़ार यहूदी ईरान से संबंध रखते हैं और यहूदी लाबी में बुनियादी रोल के मालिक हैं जिनमें बहुत सारे अमरीकी कांग्रेस और संसद के भी सदस्य हैं।

• इस्राईल में ईरानी मूल के यहूदियों की संख्यां 2 लाख से भी अधिक है जिनका निर्माण एवं दूसरे व्यापारिक व राजनीतिक कार्यवाहियों में बहुत रसूख है और सेना में भी बहुत सारे अहम पदों पर हैं।

• ईरान में तीस हज़ार यहूदी आबाद हैं और इस्राईल को छोड़कर दुनिया के किसी दूसरे क्षेत्र में आबाद होने वाले यहूदियों की ये बहुत बड़ी संख्या है।

• इस प्रकार यहूदी आबादी के एतबार से इस्राईल के बाद दूसरे देशों में सबसे ऊपर ईरान है और इस्राईल में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से उनके संबंध लगातार स्थापित हैं।

• इस्राईल के बड़े-बड़े हाख़ामों का संबंध ईरान के असफ़ाहान से है और धार्मिक व सैन्य संस्थाओं में उनका वर्चस्व स्थापित है और असफ़ाहानी इबादतगाहों के बड़े हाख़ामों के माध्यम से वो ईरान से जुड़े हुए हैं। ध्यान रहे कि हदीस शरीफ़ में जहां दज्जाल का ज़िक्र है वहीं इस बात को भी साफ़-साफ़ बयान किया गया है कि असफ़ाहान के सत्तर हज़ार यहूदी उसका साथ देंगे।

• इस्राईल के पूर्व रक्षा मंत्री एवं पूर्व उपप्रधानमंत्री शाउलमोफ़ाज़ (Shaulmofaz) भी असफ़ाहान के यहूदी हैं और वे ईरान के परमाणु संयत्र कायक्रम पर

रोक लगाने के सबसे ज़्यादा विरोधी हैं।

• पूर्व इस्राईली राष्ट्रपति मोशेकात्साव (Moshekatsav) भी ईरानी हैं और असफ़ाहान के यहूदियों में से हैं और ईरानी होने के आधार पर अहमदी नज़ाद और ख़ामनाई और दूसरे ईरानी मार्गदर्शकों से उनके दोस्ताना संबंध हैं।

• दुनिया भर के यहूदी ईरान पहुंचते हैं क्योंकि वहां यूसुफ़ अलै0 के भाई बेनियामिन का मज़ार है, इसी कारण से ईरान की धरती से लगाव है।

• फ़िलिस्तीन से ज़्यादा यहूदियों की नज़र में ईरान पवित्र है, क्योंकि बादशाह यज़्दगर्द की वफ़ादार यहूदी बीवी शोशिन दुख़्त की ये धरती है और ईरान में उसकी एक ज़ियारत गाह भी है जहां दुनिया भर के यहूदी ज़ायदीन पहुंचते हैं।

• ईरान यहूदियों के लिये बड़ी पवित्र धरती इस लिये भी है कि उनके बहुत से मसीहा यहीं दफ़न हैं। यहीं अस्तरोबर्दोख़ाए का पवित्र मज़ार है, यहीं दानियाल अलै0 का भी मदफ़न है, ये सब बनीइस्राईल के पवित्र नबी गुज़रे हैं।

• आख़िर कोई बात तो है कि इस्राईल लेबनान के हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट नहीं उतारता जबकि इस्राईली जहाज़ बेरूत की गलियों में हसन नसरुल्लाह के घर के ऊपर सुबह शाम मंडलाते फिरते हैं, जबकि यही इस्राईल फ़िलिस्तीन में अपने विरोधियों और हमास के लीडरों को पल भर में मौत की नींद सुलाने के लिये बेताब रहता है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है!!

• ईरान अरबों को किस तरह धोखा देता रहा है कि वो इस्राईल का दुश्मन है, हालांकि ज़मीनी हक़ीक़त तो ये है कि ईरान में पूंजी लगाने के लिये तरजीह इस्राईल की कम्पनियों को दी जाती है। इसकी गवाह दो सौ से अकिध इस्राईली कम्पनियां हैं, जिनका जाल पूरे ईरान में बिछा हुआ है।

• पूर्व अमरीकी रक्षामंत्री रम्सफ़ील्ड की डायरी में दर्ज है कि मशहूर शिया मार्गदर्शक सिस्तानी ने ईराक़ की जंग में अमरीकी इन्टेलीजेन्स संस्थाओं से दो सौ मिलियन डालर प्राप्त किये ताकि ऐसे फ़तवे वे जारी करते रहें जिनकी रोशनी में शियों को रहनुमाई दी जाये कि वो अमरीकी फ़ौजियों से छेड़छाड़ न करें, उनका बिल्कुल विरोध न करें, और सुन्नियों के नस्ल के ख़ात्मे वो भरपूर सहयोग करें और सेस्तानी अमरीकी हिदायत के अनुसार दिन में बाहर निकलने के बजाए अपने विरोधियों के एक ग्रुप और अपने बेटे मुहम्मद रज़ा के साथ नजफ़ में स्थित सद्दाम हुसैन के महल में जाकर अमरीकी इन्टेलीजेन्स के ज़िम्मेदारों और जनरल साइमन यूलान्डी से मुलाक़ात करते थे।

• अन्त में ये कि इस्राईली सेना का दो तिहाई हिस्सा व इस्राईली कॉलोनियों का अधिकतर हिस्सा ईरानी यहूदियों पर आधारित है और ईरान उन देश छोड़ने वालों को ईरानी नागरिक स्वीकार करता है।

अब पवित्र धरती सीरिया लहूलुहान है। बशारुल असद के दरिन्दों की ओर से बरपा की जाने वाली ख़ूंरेज़ी और वहशत व अत्याचार के बैनुस्सुतूर से पूरी तरह से शियों का रोल खुलकर सामने आ चुका है, और शियों के इरादे बेनक़ाब हो चुके हैं। नसीरियों, शियों और मिल्लते इस्लामियां के दूसरे दुश्मनों के इस गठजोड़ ने शाम के सुन्नियों पर वो ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े हैं कि ख़ुदा की पनाह! बाग़ियों बल्कि आज़ादी के ख़्वाहिशमन्द जियालों के हाथों क़ैद होने वाले शिया दरिन्दों ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि किस प्रकार उनका ज़हन बनाकर उन्हें ईरान से भेजा गया था कि सुन्नियों पर ख़ूब हाथ साफ़ किये जायें, उनका ख़ूब ख़ून बहाया जाये, जब जाकर मेहदी मुन्तज़िर की आमद की उम्मीद है। उन्होंने इस बात को भी क़ुबूल किया सीरिया भेजे जाने से पहले उनसे कहा गया था कि ईरानी सुरक्षा दस्ते की कुछ ख़ास इकाइयां (Special Units) वहां पर मैदानी काम में लगी हुई हैं तो बहुत जल्द हरतास शहर में बहुत सारी सुरंगे खोदने के काम अन्जाम देगी जिनमें बीस मीटर की गहराई तक और दो किलोमीटर लम्बाई तक लाखों टन धमाका करने वाली चीज़े भर दी जायेंगी जो जल्द ही धमाकों का कारण बनेंगी। इन कार्यवाहियों के बाद बहुत बड़े धमाके के नतीजे में ज़मीन पर ज़बरदस्त दरार वाली वो ईरानी भविष्यवाणी पूरी होगी जिसके बाद मेहदी जिनका इन्तिज़ार किया जा रहा है वो तशरीफ़ लायेंगे और उनके साथ लाखों सिपाहियों पर आधारित ईरानी सेना और शिया कारिन्दे धावा बोल देंगे और पूरे सीरिया पर शियों का अधिकार हो जायेगा।

क्या इस्राईल पीड़ित है?

जनाब नेहाल सग़ीर

विषय चौंकाने वाला ही नहीं है कि बल्कि कोई भी जानकार इनसान इसे लतीफ़ा मानेगा और ऐसा कहने वाले को किसी दिमाग़ी डाक्टर या अस्पताल में जाने की सलाह देगा। लेकिन चौंकियें नहीं, कुछ लोग वाक़ई इस्राईल को पीड़ित व हमास को अत्याचारी साबित करने में अपनी पूरी ताक़त ख़र्च कर रहे हैं। ऐसे ही एक ब्लाग लिखने वाले का नाम है सिकन्दर हयात जिसका ब्लाग हिन्दी दैनिक नवभारत टाइम्ज़ से मिला हुआ है। उन्होंने अपने कई लेख इस प्रकार से प्रस्तुत किये हैं। लेकिन अय्यार इतने लगते हैं कि वह किसी भी ऐसे लेख को स्वयं से नहीं जोड़ते बल्कि किसी न किसी के नाम से और स्वयं को अनुवादक के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

उन्होंने ग़ाज़ा के पीड़ितों की तबाही के लिये स्वयं हमास को ही ज़िम्मेदार ठहराया है। फ़िलिस्तीनियों की इस्राईल के द्वारा बेरहमी से हत्या का ज़िम्मेदार हमास को क़रार दिया जाना दरिन्दगी की और पक्षपात की इन्तिहा है। याद रहे कि 11/अगस्त को इसी भाषा का प्रयोग इस्राईल के नये दूत डेनियल कारमन ने नवभारत टाइम्ज़ से अपने एक इन्टरव्यू में किया है। लगभग यही पक्ष अमरीका, बिट्रेन और इस्राईली शासन का भी है। इस्राईलियों और उनके सहयोगियों की दलील है कि अरब देश की हुकूमतें इस्राईली कार्यवाहियों पर ख़ामोश हैं जो उनका ख़ामोश सहयोग है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये कोई इस्राईली लेखक है। लेकिन एक बात और भी है कि कुछ मौलवी नुमा लोग भी हमारे समाज में पाये जाते हैं जो इस्राईल औ संघपरिवार के प्रशंसक हैं। एक साहब जो कि उम्र की आख़िरी मंज़िल में हैं वो फ़िलिस्तीनियों के सारे संघर्ष को ज़मीन पर फ़साद कहते हैं। कुछ पत्रकार भी है जो इस्राईल की मेहमाननवाज़ी का आनन्द भी उठा चुके हैं लेकिन जनता के स्वभाव व प्रतिक्रिया के भय से इस्राईल के हक़ में कुछ बोलने या लिखने से कतराते हैं। ब्लागर के अनुसार इस्राईल ने जंग के पहले हफ़्ते में मिस्र की मदद से जिस शांति समझौते की पेशकश की थी उसे हमास को मानकर जंग को ख़त्म कर देना चाहिये। पूरी दुनिया जानती है कि मिस्र की वर्तमान सीसी सरकार भी एक यहूदी शासन है जिसको सऊदी शाह का भी सहयोग प्राप्त है। अब उस यहूदियों के सहयोग से बनने वाली और चलने वाली सरकार फ़िलिस्तीन और इस्राईल के बीच समझौता करायेगी और उसमें वो कितने न्याय से काम लेगी इसको समझने के लिये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर होने की आवश्यकता नहीं है। सिकन्दर हयात और उन जैसे सभी लोगों की इस ज़हनियत पर अल्लामा इक़बाल का ये शेर इसका सही प्रतिनिधित्व करता नज़र आता है:

वो फ़रेबखुरदा शाहीन कि पला हो करगिसों में
उसे क्या ख़बर कि क्या है रहे रस्मे शाहबाज़ी

पहली बात तो ये कि इस्राईल वो आतंकवादी देश है जिसके किसी समझौते पर अमल की आशा करना बेवकूफ़ी की जन्नत में रहने के बराबर है। इसलिये कि खुद इस्राईल का अस्तित्व ही अमानवीय है। दूसरी बात ये कि किसी क़ब्ज़ा करने वाले या लूटने वाले को कभी किसी देश के तौर पर स्वीकार किये जाने का कोई व्यवहारिक अस्तित्व नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि कोई जबर व मक्कार व्यक्ति किसी ग़रीब और शरीफ़ आदमी के मकान पर क़ब्ज़ा कर ले और जब वो आदमी कुछ असर वाले लोगों के पास इन्साफ़ की दुहाई के लिये जाता है तो अव्वल तो उसे टाला और टरकाया जाता है। कई साल इसी तरह टालने के बाद उससे ये कहा जाता है कि भाई जिस एक कमरे में तुम

क़ैद हो उसी पर संतोष करो और उस आदमी का इस मकान में मालिकाना हक़ स्वीकार कर लो। इन्सानी ज़मीर रखने वाले लोग बताएं कि क्या इस प्रकार के फ़ैसले को इन्साफ़ का नाम दिया जा सकता है। और इस प्रकार दूसरों के मकान पर क़ब्ज़ा करने वालों को क़ानूनी हैसियत देना किस देश और समाज का क़ानून है? इस पर से भी इस्राईलियों ने उनके मकान ही नहीं, उनके पानी, उनक बाग़ों और उनके खेत सब पर क़ब्ज़ा कर लिया। अब उन्हीं की ज़मीन उन पर तंग कर दी गयी है। उनसे ये कहा जाता है कि इस्राईल को स्वीकार कर लो और जितनी जगह तुम्हारे पास है जिसे दुनिया में एक जेल का नाम दिया जाता है, वहीं तक सीमित रहो, लेकिन फ़िलिस्तीन के आज़ाद पसंद लोग इस पर राज़ी नहीं हैं। वो जान की बाज़ी लगाकर भूख और प्यास से बिलकते मासूम बच्चों की लाशें ढोने के बावजूद अपनी ज़मीन को इस्राईल के चंगुल से निकालने के लिये रणभूमि में मौजूद है। लेकिन ज़ाग़ों और करगिसों की फ़ितरत रखने वाले शैतान सिफ़त लोग अक़्क़ाबों को उनकी फ़िज़ाओं से निकाल देना चाहते हैं।

सहयूनियों ने जर्मनी अपने हॉलोकास्ट के षडयन्त्र को अन्तर्राष्ट्रीय प्लेटफ़ार्म पर प्रस्तुत करके जिस प्रकार पीड़ित होने की तस्वीर पेश की थी और जिसके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय ताक़तों ने बदतरीन अमानवीयता को प्रकट करते हुए उन्हें फ़िलिस्तीन में अरबों के सीने पर बसाया। अब उन कौमो की जनता यहूदियों की कारसतानियों से बख़ूबी परिचित हो चुकी है। इसका सुबूत ये है कि लगभग चार महीने पहले एक सर्वे के अनुसार दुनिया में यहूदियों मे नफ़रत में बढ़ोत्तरी हो रही है और इस नफ़रत में अमरीका और यूरोप भी शामिल हैं। वर्तमान इस्राईली अत्याचार ने इस नफ़रत में और बढ़ोत्तरी ही की है। यही कारण है कि इस्राईली आतंक पर चाहे सरकारों का ज़मीर न जगा हो लेकिन जनता ने इन्टरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में इस्राईल की सारी कारसतानियों का खुद अनुभव करने के बाद अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब बैक कहा और पूरी दुनिया में विरोध करके ये साबित किया कि इन्सानियत का ज़मीर अभी ज़िन्दा है। सरकारें जागे या न जागें, वो चाहे ज़ुल्म का साथ दे या उसे जायज़ ठहरायें लेकिन जनता ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वैसे भी अमरीकी इन्टेलीजेन्स की रिपोर्ट जो कुछ साल पहले छपी थी कि 2025 तक इस्राईल का वजूद मिट जायेगा। ये अमरीकी इन्टेलिजेन्स की रिपोर्ट है लेकिन हमारा तो ईमान बरसों से है और आगे भी इन्शाअल्लाह रहेगा कि बातिल और ज़ुल्म को आख़िर मिट ही जाना है। क्योंकि कुफ़्र और शिर्क की बुनियाद पर तो सरकारें क़ायम रह सकती है लेकिन ज़ुल्म की बुनियाद पर सरकार क़ायम नहीं रह सकती।

वर्तमान इस्राईली अत्याचार में मुस्लिम देशों का किरदार बहुत ही शर्मनाक है। हद तो ये हो गयी कि इस्राईली अत्याचार के दूसरे या तीसरे हफ़्ते में सऊदी शाह को ये अन्दाज़ा हुआ कि फ़िलिस्तीन में कुछ हो रहा है और अरब लीग समेत इस्लामी देशों की संस्था ओ आई सी ने मीटिंग की और शांति की अपील की हद तक बयान जारी किया। इस एक मीटिंग की एक तस्वीर मैंने देखी उसमें शामिल होने वाले लोगों में से ज़्यादातर सो रहे थे या ऊंघ रहे थे। अल्लाह रहम फ़रमाये हमारे हालात पर कि हम किस क़दर बेहिस और बेग़ैरत हो चुके हैं। अभी हाल में एक मीटिंग में सऊदी शाह के नुमाइन्दे ने इस्राईल को वार्निंग दी कि अगर वह "अपनी सुरक्षा चाहता है तो फ़िलिस्तीनियों से शांति समझौता करे।" मेरे ख़्याल से काफ़ी देर से सऊदी का ये बयान आया है शायद कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन इस सिलसिले में कुछ ख़ास लोगों को छोड़कर (जिन्होंने कहा था कि इस्राईल से जंग हराम है) आम उलमा की बात करें तो वे मुस्लिम उम्मत की वर्तमान स्थिति से परिचित हैं, इसी का इज़हार इमामे हरम शेख सऊदुश्शुरैम ने किया, उन्होंने कहा कि, "हमास से इख़्तिलाफ़ राय की बुनियाद पर जो सहयूनियत के अत्याचारों के साथ है, वह यहूदी है, उसके जिस्म में यहूदी दिल है। फ़िलिस्तीन वाले हमारे भाई हैं, उनका साथ देना हमारी ज़िम्मेदारी है।" सऊदी अरब का बयान बिल्कुल साफ़ है। इस्राईलियों की सुरक्षा की ज़मानत केवल फ़िलिस्तीन से शांति समझौता है और वो शांति समझौता हमास की शर्त पर ही मुमकिन है, इस्राईल और उसके आक़ाओं की शर्त पर नहीं।

मुहब्बत का सिला

मुहम्मद अरमुग़ान बदायूंनी नदवी

हदीसः हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल स0अ0 के पास एक शख़्स हाज़िर हुआ। उसने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल स0अ0 ऐसे शख़्स के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं जिसने लोगों से मुहब्बत की लेकिन उनके मर्तबे का नहीं हुआ। आप स0अ0 ने फ़रमायाः आदमी जिसको चाहता है उसी के साथ होगा। (बुख़ारी)

फ़ायदाः उपरोक्त हदीस से मालूम होता है कि ईमान वाले को मुहब्बत करने में बहुत भावुक होना चाहिये। क्योंकि क़यामत के दिन इन्सान उसी के साथ होगा जिससे वो मुहब्बत करता है। इसीलिये कुरआन करीम में हर मौक़े पर अल्लाह और उसके रसूल स0अ0 से मुहब्बत करने को तरजीह दी गयी है और उसको ईमानवालों की ख़ास विशेषता घोषित कर दी गयी है। अल्लाह तआला का इरशाद हैः "और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मुहब्बत सबसे ज़्यादा रखते हैं।" (अलबक़राः 165)

इससे मालूम हुआ कि मोमिनो के लिये ये बात हरगिज़ ठीक नहीं है कि वो अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर किसी और से दिल लगाएं क्योंकि अगर इन्सान अल्लाह और उसके रसूल स0अ0 से मुहब्बत करता है तो उसके अन्दर वही आदतें आती है जो ईमान वालों की पहचान हैं। लेकिन अगर किसी शख़्स का मामला इसके विपरीत है और वो ग़ैर की मुहब्बत में गिरफ़्तार है और उसके रस्म व रिवाज को पसंद करता है तो उसका अन्जाम भी उसी के साथ होगा। इसीलिये आप स0अ0 ने दोस्ती करने के बारे में ये बात साफ़ कर दी कि "इन्सान को दोस्ती से पहले ये देख लेना चाहिये कि वो किस से दोस्ती कर रहा है।" जिसकी वजह यही है कि मुहब्बत के अन्दर जज़्ब करने की ग़ैरमामूली सलाहियत पायी जाती है लिहाज़ा अगर कोई शख़्स किसी ऐसे इन्सान से दोस्ती रचाता है जिसका ईमान से कोई वास्ता न हो तो उसके अन्दर वहीं सिफ़ात मुन्तक़िल होती हैं जो उसको ईमान से दूर करने पर आमादा करती हैं। लेकिन अगर कोई शख़्स किसी ऐसे इन्सान से दोस्ती करता है जिसको अल्लाह तआला ने ईमान की दौलत नसीब फ़रमायी है तो उसके साथ का नतीजा ये होता है कि वो उस शख़्स का मक़ाम भी अल्लाह तआला की मग़फ़िरत और इश्क़े रसूल में बढ़ जाता है। हदीस कुदसी में आता है (मेरी मुहब्बत दो ऐसे लोगों के लिये वाजिब हो गयी जो मेरे लिये ही आपस में मुहब्बत करने वाले हों) इसी तरह एक दूसरी रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन जब सूरज बहुत क़रीब हो चुका होगा और सभी लोग अपने अपने आमाल के बराबर पसीने में डूबे होंगे तो उस वक़्त सात तरह के लोगों को अल्लाह के अर्श के साये में साया नसीब होगा और उन सात तरह के लोगों में दो ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिन्होंने अल्लाह के लिये आपस में मुहब्बत की होगी और उसी पर जुदा हुए होंगे।

मालूम हुआ कि अगर कोई इन्सान अल्लाह के लिये किसी ईमान वाले से दिल लगाने वाला हो तो उसके लिये न दुनिया में कोई परेशानी है और न ही आख़िरत में, लेकिन आज तमाम लोगों के परेशानियों में पड़े होने की वजह यही है कि वो अस्ल मुहब्बत से महरूम हैं, उनको अपना दिल जिस जगह लगाना चाहिये वो उस जगह को भूल चुके हैं, कोई फ़िल्मी अदाकार को अपना दिल दिये हुए है, कोई क्रिकेट के खिलाड़ियों पर फ़िदा है, कोई मुहब्बत के नाम पर दिन मनाने में लगा हुआ है, कोई माल की मुहब्बत में इस क़दर डूबा हुआ है कि उसको अल्लाह और उसके रसूल स0अ0 से मुहब्बत का मौक़ा नहीं है।

मालूम ये हुआ कि अगर इन्सान को वो मुहब्बत नसीब हो जाये जो कुरआन व हदीस में मतलूब है तो उसको उन्हीं लोगों का साथ नसीब होगा जिनसे उसको मुहब्बत होगी चाहे वो किसी क़ौम या बिरादरी से संबंध रखता हो लेकिन अगर कोई शख़्स अपने दिल में उन लोगों की मुहब्बत को जमाए हुए हो जो ईमान से बेज़ार हैं तो ऐसे शख़्स के लिये बड़े डरने की बात है कि उसका अंजाम भी उन्हीं लोगों की सूची में लिखा जायेगा जिनसे वो मुहब्बत करता था जैस कि रिवायत में ज़िक्र किया गया है कि इन्सान उसी के साथ होगा जिनसे वो मुहब्बत करता होगा।

धर्मनिरपेक्षता और इस्लाम

मुहम्मद नफ़ीस ख़ाँ नदवी

पश्चिमी चिन्तकों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फ़रेबी नारे दिये हुए हैं उनमें लोकतन्त्र के बाद सबसे प्रचलित नारा "धर्मनिरपेक्षता" Secularism का है। सेक्यूलरिज़्म का शब्द लैटिन भाषा के शब्द "सेक्युलम" से बना है जिसका अर्थ संसार का है। पुराने ज़माने में रोमन कैथोलिक पादरी दो गिरोहों में बंटे हुए थे। एक गिरोह उन पादरियों का था जो क्लेसा के नियमों के तहत ख़ानकाहों में रहते थे और दूसरे गिरोह में वो पादरी थे जो साधारण नागरिकों की तरह जीवन व्यतीत करते थे। क्लेसा के शब्दों में ऐसे पादरियों को "सेक्यूलर पादरी" कहा जाता था। इसी प्रकार वे सभी संस्थांए भी सेक्यूलर कहलाती थीं जो क्लेसा के अधीन न थीं।

वर्तमान युग में सेक्यूलरिज़्म उस जीवन व्यवस्था को कहते हैं, जिसमें धर्म का कोई भी हस्तक्षेप न हो, चाहे उसका संबंध ज्ञान व सिद्धान्तों से हो, व्यक्तिगत या सामूहिक जीवन से हो या फिर रियासत या सरकार से हो।

धर्मनिरपेक्ष ज्ञान व सिद्धान्त का अर्थ ये है कि सृष्टि और प्रकृति के अध्ययन से जो परिणाम निकाले जायें वो ख़ुदा के विचार से ख़ाली हों, और मानवीय समाज के निर्माण में जो सोचा जाए वो विधि के विद्यान से हटकर हो।

इस्लाम के निकट ज्ञान व सिद्धान्त का ये विचार अस्वीकार्य है। इसके निकट सैद्धान्तिक विचार का सही मिन्हाज यह है कि ईमानदारी के साथ जानकारियां एकत्र की जाएं और फिर उन जानकारियों को इस प्रकार क्रमवार किया जाये कि उसके द्वारा ख़ुदा की परिश्तश करने के विचार का समर्थन हो। इसी प्रकार सामूहिक जीवन की संस्थाओं के लिये इस्लाम इन्सान की अक़्ल को अपर्याप्त समझता है। उसके निकट अल्लाह की हिदायत पर आधारित शरीअत ही व्यवक्तिगत व सामूहिक जीवन की अस्ल मार्गदर्शक है और ये कि मनुष्य की अक़्ल प्रशिक्षण की मोहताज है और इस्लाम का निर्माणी व प्रशिक्षण व्यवस्था ही इसको इस योग्य बनाती है कि वो नेक जीवन के निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा कर सके।

सेक्यूलर सोसाइटी का अर्थ ये है कि मानवीय संबंधों के लिये जो मूल्य और मामलों की इस्तवारी के लिये जो नियम व क़ायदे अपनाएं जाएं वो धर्म की बन्दिशों से आज़ाद हों और उनका आधार इन्सानी अक़्ल और ऐतिहासिक अनुभव पर हो।

लेकिन इस्लाम इस नज़रिये का विरोध करता है। जिसके तीन आधारभूत कारण हैः पहला तो ये कि इन्सान की अक़्ल व ऐतिहासिक अनुभव सीमित हैं। दूसरा ये कि इतिहास की वास्तविकताएं और इन्सान की अक़्लों में आपस में मतभेद है। तीसरा ये कि इन्सान की अक़्ल इच्छाओं और भावनाओं के अधीन हो जाती है और उससे एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की आशा नहीं की जा सकती है।

इन कारणों के आधार पर इस्लाम का दृष्टिकोण ये है कि मानव जीवन के लिये व्यवहारिक मूल्य और नियम व क़ानून सबका वास्तविक उद्‌गम स्त्रोत अल्लाह की हिदायत है। और इसी के द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण संभव है मानवीय न्याय व इंसाफ़ और अमन व सुकून स्थापित हो सकता है। और अल्लाह की इस हिदायत के केन्द्रबिन्दु नबियों की दावत और कुरआन मजीद का हिदायत का नुस्ख़ा है।

सेक्यूलर सोसाइटी का नारा अर्से से मौजूद है, लेकिन दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ऐसी सोसाइटी नहीं बन सकी, इसका कारण यही है कि इन्सान कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकता। जो सेक्यूलर समाज का नारा देते हैं उनके जीवन में भी धर्म का असर मौजूद है। विशेषतयः पारिवारिक व्यवस्था में और सामाजिक कार्यों में ये प्रभाव अधिक प्रकट हो जाते हैं। इसीलिये सेक्यूलर सोसाइटी बनाने का नारा एक समान स्वभाव का समाज बनाने में हमेशा असफल रहा है, बल्कि इसके द्वारा ऐसी सोसाइटी अस्तित्व में आती है तरह तरह मतभेद होते हैं जबकि इस्लाम मानव जीवन को हर प्रकार के मतभेद से पाक देखना चाहता है।

सेक्यूलर सरकार यानि शासन करने का एक तरीक़ा जिसमें जनता को अपने धार्मिक कार्यों का आधिकार हो कि वो अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करे और दूसरे सभी सामूहिक कार्यों में वह सरकार के बनाये हुएनियमों व तरीक़ो की पाबन्द हो। अगर सरकार लोकतान्त्रिक हो तो ये क़ानून तय करने वाले वे लोग होंगे

जो जनता के प्रतिनिधी कहलाते हैं और अगर तानाशाही हो तो ये नियम वे लोग तय करते हैं जिनका क़ब्ज़ा हुकूमत पर हो।

सत्ता के इस प्रकार को अपनाने वालों का सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि हर देश में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग बसते हैं, सामूहिक व राजनीतिक जीवन बहरहाल उन सबको मिल कर गुज़ारना है। और क्योंकि बहुत से धर्म हैं इसलिये किसी धर्म को मार्गदर्शक बनाने के बजाए इन्सानी अक़्ल को ही मार्गदर्शक बनाना ठीक है।

इस नज़रिये पर इस्लाम के हवाले से ये एतराज़ किया जाता है कि धर्म अलग अलग है तो यक़ीनन उनके मानने वालों के नज़रिये और जीवन यापन का तरीक़ा भी अलग होगा, ऐसी स्थिति में किसी देश में एक प्रकार के स्थायी समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। बल्कि हर कुछ समय पर जहां एक समाज के मानने वालें होंगे वहां एक नया समाज होगा और जहां विभिन्न धर्मों के मानने वाले होंगे वहां का समाज आपसी रस्सा कशी, साम्प्रदायिकता और आपसी फूट का शिकार होगा।

मानवीय बुद्धि की सीमितता और कमज़ोरियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसी लिये उसका मार्गदर्शन अविश्वस्नीय है। इसके अतिरिक्त मनुष्य की बुद्धि में आपसी मतभेद भी हैं, इसीलिये बहुसंख्यक की राय माने बग़ैर चारा भी नहीं और बहुसंख्यकों की राय ग़लती कर सकती है और करती है और किसी समस्या पर बहुसंख्यकों की राय का एक समान होना भी मुश्किल है।

सेक्यूलर राजनीति के विषय में इस्लाम का नज़रिया ये है कि जो कार्य शुद्ध धार्मिक प्रवृति के हों उनमें हर गिरोह आज़ाद हो, लेकिन जिन कार्यों का संबंध सामूहिक व राजनीतिक जीवन से हो उनमें उन आकाशीय मूल्यों को अपनाना आवश्यक है जो इन्सानों की विरासत है। और जिन्हें अल्लाह की हिदायत ने क़ानून की शक्ल दी है जिसे इस्लाम के शब्दों में शरीअत का नाम दिया जाता है।

एक सेक्यूलर सरकार में सामूहिक जीवन के लिये ऐसे नियम व उसूल होने आवश्यक हैं जो मनुष्य की प्रकृति से मिलते जुलते हों, और इस्लाम न केवल इसका दावा करता है बल्कि वो अमली नमूना भी पेश करता है, जबकि दूसरे धर्मों का दायरा बहुत ही सीमित है, उनका अपनी प्रकृति से समानता का दावा भी नहीं। इस लिहाज़ से केवल इस्लाम द्वारा प्रस्तुत की हुई जीवन व्यवस्था ही एक अस्ल व सफ़ल जीवन की गारन्टी देती है।

शेष : हालात क्यों नहीं बदलते?

सवाल पैदा होता है कि बाक़ी कहां जाते हैं। क्या उन्हें कुरआन सेन्ट जोंस स्कूल और शिशुमन्दिर में पढ़ाया जाता है? एक अनुमान के अनुसार 80/प्रतिशत मुसलमान कुरआन से अनभिज्ञ हैं।

मुसलमान कहते हैं कि हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं और नेतृत्व करने वालों को शिकायत है कि क़ौम हमारी सुनती नहीं। बात बने तो कैसे बने। बात ज़रा सख़्त है लेकिन सच्ची है और वो ये कि हमारी मत मारी गयी है। हम दूसरों की नक़ल करने में मरे जा रहे हैं। ये बात लोगों को नागवार गुज़रेगी कि हमारा क़ौमी कैरेक्टर और चाल चलन बिगड़ गया है। अगर वो सही होता तो हमारी समस्याएं कभी की हल हो गयी होतीं। हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम समाज में ख़राबियां ही ख़राबियां हैं। अच्छाई बिल्कुल नहीं है। अच्छाइयां जितनी भी हैं उनको बुराइयों ने ढांक लिया है। हम उनकी तफ़सील में नही जाना चाहते, हममें का हर व्यक्ति जानता है कि कहां कहां गिरावट है और कहां कहां पानी मर रहा है। आवश्यकता सुधार की है। हमारी खुशी और ग़म की महफ़िलें, हमारे घरेलू हालात, हमारे मामले, हमारा कारोबार सब कुछ दीन के रास्ते से हटा हुआ है। फिर अल्लाह की मदद आयेगी तो कैसे आयेगी? ये वक़्त अल्लाह की तरफ़ दिल लगाने का है, अल्लाह के सामने रोने और गिड़गिड़ाने का है, न कि लड़ने भिड़ने का, शिकवा शिकायत का, राजनीतिक अखाड़े का। हमारे अस्ल दुश्मन हमारे गुनाह हैं, हमारी गुमराही और असंतुलन है। हम अपना ही बोया हुआ काट रहे हैं। हमसे जो कोताहिया हुई हैं उनका ही ख़ामियाज़ा है।

विरोध प्रदर्शन, शिकवा–शिकायत, नारेबाज़ी और जुलूस समस्या का समाधान नहीं है, ये तो केवल दूसरों की नक़ल है। कुदरत का अटल क़ानून है कि हर रात के बाद सुबह होती है, फिर हम क्यों मायूस बैठे रहें। अंधेरे में तीर चलाने से अच्छा है कि अंधेरी राहों में उम्मीदों का चिराग़ रोशन करते हुए चलें।

जला सको तो जलाओ तुम आरज़ुओं के चिराग़।
सहर की राह पे देखो सहर मिले न मिले।।

अल्लाह की अमानत

अबुल अब्बास ख़ाँ

मदीना मुनव्वरा का पूरा समाज, नुबूव्वत के नूर में डूबा हुआ, पाक दिल व पाक रूहों का समाज, इन्सानी इतिहास का सबसे पाक समाज, न बुराई का ख़्याल, न गुनाह का गुज़र, नुबूव्वत का सूरज अपनी किरनो के साथ जलवागर, ज़मीन व आसमान का मज़बूत रिश्ता, वही का सिलसिला जारी, हर एक अल्लाह की रज़ा को पाने की कोशिश में, आयत नाज़िल होती हैः "हरगिज़ पूरी नेकी को नहीं पा सकते जब तक तुम उस चीज़ को न ख़रच कर दो जो तुम्हें पसंद है।"

हज़रत अबूतलहा रज़ि0 अल्लाह के फ़रमान को सुनते हैं। सोचते हैं कि उनकी सबसे प्यारी चीज़ क्या है? आप स0अ0 की ख़िदमत में हाज़िर होते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल स0अ0 मेरा फ़लां बाग़ मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, उसके बराबर किसी का बाग़ न होगा, मैं उसे अल्लाह की राह में देता हूं।

हज़रत अबूतलहा रज़ि0 की शादी हुई, अल्लाह तआला ने उन्हें दुनिया की सबसे क़ीमती चीज़ नेक बीवी अता, पति की ख़िदमत गुज़ार, हर हाल में सब्र व शुक्र करने वाली, न ज़बान पर कोई शिकवा न दिल में कोई मलाल, खुदा की नेक बन्दी, खुदा की फ़रमाबरदार बन्दी!

कुछ वक़्त बीता, अल्लाह ने उन्हें एक प्यारा सा बेटा भी नवाज़ा, नाम तलहा रख दिया, और खुद अबूतलहा रज़ि0 हो गये, दिल व जान से उसे चाहते, उसे लाड व प्यार करते, उसे दुलार करते, कभी सीने पे लिटाते, कभी पीठ पे बिठाते, आंखों की ठन्डक बुढ़ापे का सहारा।

एक रात तलहा सख़्त बीमार हुए, पूरी रात बेचैन रहे, मां बाप ने आंखों में रात गुज़ार दी, सुबह हुई, अबू तलहा ने वुज़ू किया, फ़ज्र की नमाज़ अदा की, बेटे पर शफ़क़त भरी निगाह डाली और आप स0अ0 की ख़िदमत में हाज़िर हो गये।

सुबह बच्चे ने आखें खोलीं, लेकिन तबियत बिल्कुल निढाल, बीमारी में कोई फ़ायदा नहीं, मां की ममता बेचैन हो उठी, जो कुछ जतन हो सकते थे कर डाले, आंखों से आंसू जारी हो गये, कभी बच्चे को सीने से लगाती, कभी उसका माथा चूमती, कभी बेखुद होकर सोचती कि अबू तलहा को बुलाए, शायद उनके आने से तबियत कुछ संभल जाये, लेकिन वो नबी की मजलिस में थे, वहां से बुलवाना कैसी बेअदबी होगी, मर्ज़ी जो सब अल्लाह की, बीमारी और तन्दुरुस्ती सब अल्लाह के हाथ में, वक़्त गुज़रता गया, मर्ज़ बढ़ता गया, बच्चे की सांसे कम होती गयीं, और फिर उसने ज़िन्दगी की आख़िरी सांस ली, मां बच्चे को कलेजे से लगाए अपने रब को याद करती रही, जी भर कर उसको देखा, ख़ूब–ख़ूब प्यार किया, और फिर उस पर एक कपड़ा डालकर अपने परवरदिगार के ज़िक्र में लग गयीं।

न कोई वावेला, न कोई शोर न हंगामा, न दहाड़े मार मार कर रोईं, न मुहल्ले को सर पर उठाया, न फ़िज़ूल की बातें बकीं, न अपनी क़िस्मत पर आंसू बहाए, वो खुदा की नेमत थी, एक ज़िम्मेदारी थी, जो पूरी हुई, और अपने पति का इन्तिज़ार करने लगीं।

बेटे की मुहब्बत बेइन्तिहा लेकिन रसूल की मुहब्बत से बढ़कर ये मुहब्बत नहीं। ये कैसे मुमकिन था कि अबू तलहा रज़ि0 आज हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर न होते। हमेशा की तरह आज भी पहुंचे। पूरा दिन नबी के साथ बिताया, शाम हुई तो घर को पहुंचे, आते ही पूंछा कि तलहा का क्या हाल है?

बीवी ने जवाब दिया, रात भर उसे तकलीफ़ थी, अल्लाह का शुक्र है अब उसे कोई तकलीफ़ नहीं, अबू तलहा रज़ि0 ने देखा कि बच्चे पर चादर पड़ी है, सोचा रात भर का जगा हुआ है नींद आ गयी होगी, उसे सोने दो।

बीवी ने कहीं से ज़ाहिर न होने दिया कि उस पर ग़म का कितना बड़ा पहाड़ टूटा है! उसकी ममता सूनी हो चुकी है! उसकी आंखों का नूर बुझ चुका है!

मुहब्बत के साथ खाना परोसा, शौहर के राहत की पूरी फ़िक्र की, सुकून व इत्मिनान के साथ शब–ए–उरूसी की तरह रात बितायी।

सुबह हुई अबू तलहा रज़ि0 ने मामूल पर निकलने की तैयारी की, बीवी ने कहा कि ऐ अबू तलहा रज़ि0 एक बात बताओ! कोई तुम्हें अपनी अमानत दे, तुमको उससे पूरा फ़ायदा उठाने की इजाज़त भी दे, लेकिन दोबारा जब वो तुमसे अपनी अमानत मांग ले तो क्या तुम्हें उस पर कोई एतराज़ होगा, बोले बिल्कुल नहीं, जिसकी अमानत है उसे अख़्तियार है, जब चाहे अपनी अमानत ले ले।

कहने लगीं हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारा तलहा अब इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक ने हमें अमानत दी थी, उसने हमसे अपनी अमानत वापिस ले ली। दोनों की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा लेकिन सब्र व शुक्र के दामन में वो सैलाब जज़्ब होकर रह गया।

आओ दीन सीखें

ग़ुस्ल के एहकाम

ग़ुस्ल: सर से पैर तक जिस्म के तमाम ज़ाहिरी हिस्सों को धोने को ग़ुस्ल कहते हैं। ग़ुस्ल दो मक़सद की ख़ातिर किया जाता है। १– सवाब हासिल करने के लिये जैसे जुमा व ईदैन का ग़ुस्ल। २– ऐसी नापाकी से पाकी हासिल करने के लिये जो बग़ैर ग़ुस्ल के दूर न हो सकती हो, जैसे नजिस होने पर ग़ुस्ल करना।

ग़ुस्ल कब वाजिब होता है: जिन चीज़ों से ग़ुस्ल ज़रूरी हो जाता है वो ये हैं: १– आनन्द के साथ स्खलित हो जाना, चाहे सोते में हो या जगते में हो। २– हमबिस्तरी करना, चाहे मनी निकले या न निकले। ३– माहवारी का ख़ून बन्द होने के बाद। ४– प्रस्व रक्त बन्द होने के बाद। ५– किसी के इन्तिक़ाल के बाद उसको ग़ुस्ल देना जो दूसरों के लिये ज़रूरी है। ६– अगर कोई काफ़िर नापाकी की हालत में इस्लाम क़ुबूल करे।

ग़ुस्ल के फ़राएज: ग़ुस्ल में तीन फ़र्ज़ हैं– १– कुल्ली करना। २– नाक में पानी डालना। ३– पूरे जिस्म को इस तरह धोना कि कोई भी हिस्सा सूखा न रहे।

इन तीनों में से अगर एक भी चीज़ छूट जाये या कोई कमी रह जाए तो ग़ुस्ल ठीक नहीं होगा।

ग़ुस्ल की सुन्नतें: नियत करना, यानि दिल से ये इरादा करना कि पाकी हासिल करने के लिये या अल्लाह तआला की ख़ुशी हासिल करने के लिये ग़ुस्ल कर रहा हूं। बिस्मिल्लाह पढ़ना। अपने दोनों हाथों को गट्टों समेत धोना। गन्दगी को धोना चाहे कपड़े में लगी हो या बदन कि किसी ख़ास हिस्से में। वुज़ू करना। पूरे बदन पर पानी का तीन बार बहाना। पहले सर पर, फिर दायें मोढ़े पर और फिर बायें मोढ़े पर पानी बहाना। अपने बदन को ख़ूब मलना। बदन को लगातार अच्छी तरह से धोना कि एक अंग सूखने न पाये और दूसरा अंग धो लिया जाये।

ग़ुस्ल में सवाब की चीज़ें: बैठ कर ग़ुस्ल करना। ज़्यादा पानी न बहाना। ऐसी जगह ग़ुस्ल करना जहां किसी ग़ैर महरम की निगाह न पड़ने पाये। कपड़े पहन कर नहाना।

इसके अलावा जो चीज़ें वज़ू में मुस्तहब हैं वो ग़ुस्ल में भी मुस्तहब हैं सिवाए इन दो चीज़ों के: ग़ुस्ल करते वक़्त क़िब्ला रुख़ न होना। दुआ न पढ़ना।

ग़ुस्ल में मकरूह चीज़ें: बिला ज़रूरत बातें करना। बिस्मिल्लाह के अलावा दूसरी दुआएं पढ़ना। बिना कपड़ा पहन कर नहाने वाले के लिये क़िब्ला रुख़ होना। इसके अलावा वज़ू में जो चीज़ें मकरूह हैं वो चीज़ें ग़ुस्ल में भी मकरूह है।

जिन चीज़ों के लिये ग़ुस्ल सुन्नत है: जुमा की नमाज़ के लिये। ईदैन की नमाज़ के लिये। एहराम बांधने के लिये। अरफ़ा के दिन सूरज ढ़लने के बाद हाजी के लिये।

जिन चीज़ों के लिये ग़ुस्ल करना सवाब है: पन्द्रहवीं शाबान की रात में। शब–ए–क़द्र में। सूरज ग्रहण व चंद्र गहण की। इस्तिक़ा (पानी मांगने वाली नमाज़) के लिये। नये कपड़ों को पहनते वक़्त। अपने गुनाहों से जो शख़्स तौबा करे। जो सफ़र से वापिस आ जाये। मदीना मुनव्वरा हाज़िरी के लिये। मक्का मुअज़्ज़मा हाज़िरी के लिये। क़ुर्बानी के दिन सुबह को वक़ूफ़ मुज़्दलिफ़ा में। तवाफ़े ज़ियारत के लिये। जो शख़्स मैयत को ग़ुस्ल दे। बाल बनवाने के बाद इत्यादि।

मुहम्मद नजमुद्दीन नदवी

R.N.I. No.
UPHIN/2009/30527

Monthly
ARAFAT KIRAN
Raebareli

Postal Reg. No.
RBL/NP - 10

ISSUE: 02 FEBRUARY 2015 VOLUME: 07

MARKAZUL IMAM ABIL HASAN AL-NADWI
AT A GLANCE

Editor: Bilal Abdul Hai Hasani Nadwi
MARKAZUL IMAM ABIL HASAN AL-NADWI
Dare Arafat, Takiya Kalan, Raebareli, U.P.
Mobile:9792646858
E-Mail: markazulimam@gmail.com
www.abulhasanalinadwi.org

Printed & Published by: Mohammad Hasan Nadwi
On Behalf of: Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi
Printed at S.A. Offset Printers, Masjid ke peeche,Phatak Abdullah Khan, Sabzi Mandi, Station Road, Raebareli, U.P.